

प्रस्ताव 2

2013–2014 द्वितीय असाधारण सत्र (संकल्प अध्याय 1, 2013–2014 द्वितीय असाधारण सत्र) के विधानसभा संवैधानिक संशोधन 1 के द्वारा प्रस्तावित यह संशोधन California के संविधान को, उसमें धारायें जोड़ कर और उसकी एक धारा को निरस्त करके और जोड़ कर, स्पष्ट रूप से संशोधित करता है; इसलिए, हटाये जाने के लिए प्रस्तावित मौजूदा प्रावधान काटी हुई टाइप में और जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नये प्रावधान, यह बताने के लिए कि वे नये हैं, *तिरछे टाइप* में छापे गये हैं।

अनुच्छेद IV और XVI के लिए प्रस्तावित संशोधन

पहला—कि तत्सम्बन्धी अनुच्छेद IV में धारा 12.5 जोड़ी गयी है, जिसे इस प्रकार पढा जाये: धारा 12.5. धारा 12 के उपखंड (a) के अनुसार बजट प्रस्तुत करने के बाद 10 दिनों के भीतर, सरकारी संहिता या उत्तराधिकारी कानून की धारा 13308 के उपखंड (e) के द्वारा आवश्यक गवर्नर के बजट में प्रस्तावित समायोजनों के बाद, और बजट बिल के अधिनियमन के बाद, या उसके बाद यथाशीघ्र सम्भव होने पर, वित्त निदेशक विधानमंडल को निम्नलिखित में से दोनों प्रस्तुत करेगा:

(a) आगामी वित्त वर्ष के लिए और उसके बाद के तीन वित्तीय वर्षों के लिए सामान्य निधि राजस्व के अनुमान।

(b) आगामी वित्त वर्ष के लिए और उसके बाद के तीन वित्तीय वर्षों के लिए सामान्य निधि के खर्चों के अनुमान।

दूसरा—कि तत्सम्बन्धी अनुच्छेद XVI की धारा 20 निरस्त कर दी गयी है।

धारा 20. (a) बजट स्टेबलाइजेशन अकाउंट एतद्वारा सामान्य निधि में बनाया जाता है।

(b) हर वित्तीय वर्ष में जैसा पैराग्राफ (1) से (3), सम्मिलित करके, में बताया गया है, कंट्रोलर सामान्य निधि से बजट स्टेबलाइजेशन अकाउंट में निम्नलिखित राशियां अंतरित यानि ट्रांसफर करेगा:

(1) अधिकतम सितम्बर 30, 2006 तक, वित्तीय वर्ष 2006–07 के लिए सामान्य निधि राजस्व की अनुमानित राशि के 1 प्रतिशत के बराबर धनराशि।

(2) अधिकतम सितम्बर 30, 2007 तक, वित्तीय वर्ष 2007–08 के लिए सामान्य निधि राजस्व की अनुमानित राशि के 2 प्रतिशत के बराबर धनराशि।

(3) अधिकतम सितम्बर 30, 2008 तक, और उसके बाद सालाना तौर पर वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए सामान्य निधि राजस्व की अनुमानित राशि के 3 प्रतिशत के बराबर धनराशि।

(c) धनराशियों का अंतरण किसी भी वित्तीय वर्ष में उपखंड (b) के द्वारा उस हद तक आवश्यक नहीं होगा कि उसके परिणामस्वरूप खाते में बकाया राशि उस वित्तीय वर्ष के लिए बजट बिल में निर्धारित किये गये सामान्य निधि राजस्व के 5 प्रतिशत से अधिक हो जाये, जैसा अधिनियमित किया गया हो, या आठ बिलियन डॉलर (\$8,000,000,000), जो भी अधिक हो। विधानमंडल, कानून के अनुसार, कंट्रोलर को, एक या उससे अधिक वित्तीय वर्षों के लिए, इस उपखंड के द्वारा निर्धारित स्तरों से अधिक राशियों को अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए निर्देशित कर सकता है।

(d) इस धारा के द्वारा लगाये गये किसी भी प्रतिबंध के आधीन, बजट स्टेबलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की जाने वाली धनराशियां इस संविधान के सभी उद्देश्यों के लिए सामान्य निधि राजस्व मानी जायेंगी।

(e) अधिकतम पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के जून 1 तक गवर्नर के द्वारा जारी किये गये अधिशासी आदेश के द्वारा निर्दिष्ट किये गये अनुसार धनराशियों के सामान्य निधि से बजट स्टेबलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर को किसी वित्तीय वर्ष के लिए निलम्बित किया जा सकता है या उसे कम किया जा सकता है।

(f) (1) हर वित्तीय वर्ष में अकाउंट में ट्रांसफर की जाने वाली धनराशियों में से, 50 प्रतिशत, सभी वित्तीय वर्षों के लिए कुल पाँच बिलियन डॉलर (\$5,000,000,000) की राशि तक, डेफिसिट रिक्वरी बॉण्ड रिटायरमेंट सिंकिंग फंड उपखाते में जमा की जायेगी, यह उपखाता अकाउंट में एतद्वारा कानून के अनुसार उन बॉण्ड्स को रिटायर करने के उद्देश्य के लिए उपलब्ध कराये जाने वाले कोई अन्य भुगतानों के अलावा, धारा 1.3 में वर्णित किये गये अनुसार अधिकृत और जारी किये जाने वाले डेफिसिट रिक्वरी बॉण्ड्स को रिटायर करने के लिए बनाया गया है। सिंकिंग फंड उपखाते की धनराशियां समग्र-समग्र पर, और कोषाध्यक्ष के द्वारा उचित माने जाने वाले ढंग में उस उद्देश्य के लिए खर्च किये जाने के लिए लगातार कोषाध्यक्ष को विनियोजित की जाती हैं। सभी डेफिसिट रिक्वरी बॉण्ड्स के रिटायर हो जाने के बाद सिंकिंग फंड उपखाते में बची कोई भी धनराशियां अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जायेंगी, और पैराग्राफ (2) के अनुसार वे सामान्य निधि में ट्रांसफर की जा सकती हैं।

(2) किसी वित्तीय वर्ष में अकाउंट में ट्रांसफर की जाने वाली अन्य सभी धनराशियां सिंकिंग फंड उपखाते में जमा नहीं की जायेंगी और, कानून के अनुसार, सामान्य निधि में ट्रांसफर की जा सकती हैं।

तीसरा—कि तत्सम्बन्धी अनुच्छेद XVI में धारा 20 जोड़ी गयी है, जिसे इस प्रकार पढा जाये: धारा 20. (a) (1) बजट स्टेबलाइजेशन अकाउंट एतद्वारा सामान्य निधि में बनाया जाता है।

(2) 2015–16 वित्तीय वर्ष और उसके बाद के हर वित्तीय वर्ष के लिए, उस वित्तीय वर्ष के बजट अधिनियम के आधार पर, कंट्रोलर, अधिकतम अक्टूबर 1 तक, उस वित्तीय वर्ष के लिए सामान्य निधि राजस्व की अनुमानित राशि के 1.5 प्रतिशत के बराबर धनराशि सामान्य निधि से बजट स्टेबलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेगा।

(b) (1) 2015–16 वित्तीय वर्ष और उसके बाद के हर वित्तीय वर्ष के लिए, उस वित्तीय वर्ष के बजट अधिनियम के आधार पर, वित्त विभाग विधानमंडल को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करेगा:

(A) अनुच्छेद XIII B के अनुसार विनियोजित की जा सकने वाली उस वित्तीय वर्ष के लिए करों से प्राप्त होने वाली सामान्य निधि की राशि का अनुमान।

(B) (i) उपपैराग्राफ (A) में निर्धारित करों से प्राप्त होने वाली सामान्य निधि की राशि के उस हिस्से का अनुमान जो शुद्ध पूँजीगत लाभों पर अदा किये गये व्यक्तिगत आय कर से प्राप्त हुआ हो।

(ii) वाक्यांश (i) में अनुमान का वह हिस्सा जो उपपैराग्राफ (A) के तहत लगाये गये अनुमान के 8 प्रतिशत से अधिक हो।

(C) धारा 8 के तहत राज्य के वित्तपोषण दायित्व का वह हिस्सा जो करों से प्राप्त होने वाली सामान्य निधि के रूप में, उपपैराग्राफ (B) के वाक्यांश (ii) के तहत परिकलित राशि को शामिल करने से प्राप्त होता है, अगर कोई हो।

(D) उपखंड (c) के उपपैराग्राफ (2) के उपपैराग्राफ (C) या, पैराग्राफ (1) के उपपैराग्राफ (B) के वाक्यांश (ii) में वर्णित किसी भी विनियोजन की राशियां, जो इस पैराग्राफ के उपपैराग्राफ (B) के वाक्यांश (ii) में वर्णित राजस्व राशियों से बनायी गयीं हों।

(E) उपपैराग्राफ (B) के वाक्यांश (ii) के तहत परिकलित मान से उपपैराग्राफ (C) और (D) के तहत परिकलित संयुक्त मानों को घटाने से प्राप्त होने वाली राशि। अगर शून्य से कम हो, तो इस उद्देश्य के लिए वह राशि शून्य मानी जायेगी।

(F) उपपैराग्राफ (E) के तहत परिकलित राशि या ट्रांसफर की गयी वह राशि जिसके परिणामस्वरूप बजट स्टेबलाइजेशन अकाउंट में बकाया राशि उपखंड (e) में बतायी गयी सीमा तक पहुँची हो, में से जो भी कम हो।

(2) 2016–17 वित्तीय वर्ष में, केवल 2015–16 वित्तीय वर्ष के सम्बंध में, और 2017–18 वित्तीय वर्ष तथा उसके बाद के हर वित्तीय वर्ष में, अलग से अगले दो पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में से हर एक के सम्बन्ध में, वित्त विभाग, उसी पद्धति का इस्तेमाल करके जो प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए प्रयोग की गयी है, निम्नलिखित में से सभी की गणना करेगा, और उन गणनाओं को विधानमंडल को प्रदान करेगा:

(A) अनुच्छेद XIII B के अनुसार विनियोजित की जा सकने वाली करों से प्राप्त होने वाली सामान्य निधि की राशि का एक अद्यतन अनुमान।

(B) (i) उपपैराग्राफ (A) में निर्धारित करों से प्राप्त होने वाली सामान्य निधि की राशि के उस हिस्से का एक अद्यतन अनुमान जो शुद्ध पूँजीगत लाभों पर अदा किये गये व्यक्तिगत आय कर से प्राप्त हुआ हो।

(ii) वाक्यांश (i) में अद्यतन अनुमान का वह हिस्सा जो उपपैराग्राफ (A) के तहत लगाये गये अनुमान के 8 प्रतिशत से अधिक हो।

(C) धारा 8 के तहत राज्य के वित्तपोषण दायित्व के उस हिस्से की अद्यतन गणना जो करों से प्राप्त होने वाली सामान्य निधि के रूप में, उपपैराग्राफ (B) के वाक्यांश (ii) के तहत परिकलित राशि को शामिल करने से प्राप्त होता है, अगर कोई हो।

(D) उपखंड (c) के उपपैराग्राफ (2) के उपपैराग्राफ (C) या, पैराग्राफ (1) के उपपैराग्राफ (B) के वाक्यांश (ii) में वर्णित किसी भी विनियोजन की राशियां, जो पैराग्राफ (1) के उपपैराग्राफ (B) के वाक्यांश (ii) में वर्णित राजस्व राशियों से बनायी गयीं हों।

(E) उपपैराग्राफ (B) के वाक्यांश (ii) के तहत परिकलित मान से उपपैराग्राफ (C) और (D) के तहत परिकलित संयुक्त मानों को घटाने से प्राप्त होने वाली राशि। अगर शून्य से कम हो, तो इस उद्देश्य के लिए वह राशि शून्य मानी जायेगी।

(F) उपखंड (c) और (d) के अनुसार कंट्रोलर के द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए सामान्य निधि से बजट स्टेबलाइजेशन अकाउंट में पूर्व में ट्रांसफर की गयी राशि।

(G) (i) उपपैराग्राफ (E) के तहत परिकलित राशि से, घटा कर प्राप्त होने वाली राशि, जो शून्य से कम नहीं हो, संबद्ध वित्तीय वर्ष के लिये विधानमंडल के द्वारा पूर्व में अनुमोदित धारा 22

के उपखंड (a) के पैराग्राफ (1) के अनुसार ट्रांसफर के किसी निलम्बन या कटौती का मान, और उपपैराग्राफ (F) में वर्णित किये गये अनुसार कंट्रोलर के द्वारा उस वित्तीय वर्ष के लिए पूर्व में ट्रांसफर की गयी राशि, या (ii) ट्रांसफर की गयी वह राशि जिसके परिणामस्वरूप बजट स्टैबलाइजेशन अकाउंट में बकाया राशि उपखंड (e) में बतायी गयी सीमा तक पहुँची हो, में से जो भी कम हो।

(c) (1) (A) 2015-16 वित्तीय वर्ष के अक्टूबर 1 तक और उसके बाद 2029-30 वित्तीय वर्ष तक, हर वित्तीय वर्ष, उपखंड (b) के पैराग्राफ (2) और (3) के अनुसार वार्षिक बजट अधिनियम में बताये गये अनुमानों, और उपखंड (a) के पैराग्राफ (2) में निर्धारित राशि के आधार पर कंट्रोलर, वित्त निदेशक के द्वारा प्रदत्त कार्यक्रम-सूची के अनुसार, सामान्य निधि और बजट स्टैबलाइजेशन अकाउंट से धनराशियाँ ट्रांसफर करेगा, जैसा उपपैराग्राफ (B) में प्रावधान किया गया है।

(B) इस खंड के किसी भी अन्य प्रावधान के होते हुए भी, उस वित्तीय वर्ष में जिसके लिए उपपैराग्राफ (A) में निर्धारित बजट अधिनियम लागू होता है:

(i) उपखंड (a) के पैराग्राफ (2) में निर्धारित राशि, और उपखंड (b) के पैराग्राफ (1) के उपपैराग्राफ (B) के वाक्यांश (ii) के तहत परिकलित मान से उपखंड (b) के पैराग्राफ (1) के उपपैराग्राफ (C) के तहत परिकलित मान को घटाने से प्राप्त राशि, दोनों राशियों का पचास प्रतिशत सामान्य निधि से बजट स्टैबलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जायेगा।

(ii) बाकी 50 प्रतिशत विधानमंडल के द्वारा निम्नलिखित दायित्वों और उद्देश्यों में से किसी एक या उससे अधिक के लिए विनियोजित किया जायेगा:

(I) धारा 8 के अनुसार अनिधिक पूर्व वित्तीय वर्ष के ऐसे सामान्य निधि दायित्व जो जुलाई 1, 2014 को मौजूद थे।

(II) सामान्य निधि से बाहर की धनराशियों से, सामान्य निधि के लिए ऐसे बजटीय ऋण, जिनमें जनवरी 1, 2014 को बकाया राशियाँ शेष थीं।

(III) 2004-05 वित्तीय वर्ष के पूर्व उठायी गयी आदेशित लागतों के लिए ऐसे देय दावे जिनका अभी तक भुगतान नहीं किया गया है, और जो अनुच्छेद XIII B की धारा 6 के उपखंड (b) के पैराग्राफ (2) के अनुसार कानून द्वारा निर्धारित वर्षों की अवधि में भुगतान किये जाने के लिए अनुमति प्राप्त है।

(IV) उस वित्तीय वर्ष के लिए, जिसमें धनराशियाँ अन्यथा बजट स्टैबलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो जायेगी, स्थापित वर्तमान आधार राशियों से अधिक की राज्यस्तरीय पेंशन योजनाओं के लिए अनिधिक देयताएं और रोजगार के उपरान्त अन्य लाभों के लिए पूर्व निधि प्रबंधन। इस उपवाक्यांश के लिए, वर्तमान आधार राशियाँ वे हैं जो कानून के अनुसार अदा की जानी आवश्यक हैं, एक अनुमोदित सहमति ज्ञापन, नियोक्ता या सामूहिक सौदेबाजी से अलग रखे गये या मुक्त किये गये कर्मचारियों के लिए उन अंशदानों को स्थापित करने के लिए अधिकृत संस्था द्वारा स्थापित लाभ सम्बन्धी कार्यक्रम-सूचियाँ, या इनका कोई भी संयोजन। इस उपखंड के तहत योग्य होने के लिए, विनियोजन ऐसी धनराशियों की पूरक व्यवस्था करेगा, न कि उनकी जगह लेगा जो कि इस वित्तीय वर्ष या इसके बाद के वित्तीय वर्ष के लिए इस उपखंड में वर्णित देयताओं का भुगतान करने के लिए अन्यथा उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) (A) 2030-31 वित्तीय वर्ष और उसके बाद हर वित्तीय वर्ष के अक्टूबर 1 तक, उपखंड (b) के पैराग्राफ (2) और (3) के अनुसार वार्षिक बजट अधिनियम में बताये गये अनुमानों के आधार पर, कंट्रोलर, वित्त निदेशक के द्वारा प्रदत्त कार्यक्रम-सूची के अनुसार, सामान्य निधि से बजट स्टैबलाइजेशन अकाउंट में धनराशियाँ ट्रांसफर करेगा, जैसा उपपैराग्राफ (B) में प्रावधान किया गया है।

(B) उस वित्तीय वर्ष में जिसके लिए उपपैराग्राफ (A) में निर्धारित बजट अधिनियम लागू होता है, उपखंड (a) के पैराग्राफ (2) में निर्धारित राशि, और उपखंड (b) के पैराग्राफ (1) के उपपैराग्राफ (B) के वाक्यांश (ii) के तहत परिकलित मान से उपखंड (b) के पैराग्राफ (1) के उपपैराग्राफ (C) के तहत परिकलित मान को घटाने से प्राप्त राशि, सामान्य निधि से बजट स्टैबलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जायेगी।

(C) इस धारा के किसी भी अन्य प्रावधान के होते हुए भी, विधानमंडल उपखंड (a) के पैराग्राफ (2) में निर्धारित राशि, और उपखंड (b) के पैराग्राफ (1) के उपपैराग्राफ (B) के वाक्यांश (ii) के तहत परिकलित मान से उपखंड (b) के पैराग्राफ (1) के उपपैराग्राफ (C) के तहत परिकलित मान को घटाने से प्राप्त राशि, दोनों राशियों के 50 प्रतिशत तक को पैराग्राफ (1) के उपपैराग्राफ (B) के वाक्यांश (ii) में वर्णित दायित्वों और उद्देश्यों में से किसी एक या उससे अधिक के लिए विनियोजित कर सकता है।

(3) इस उपखंड में वर्णित ट्रांसफर धारा 22 के उपखंड (a) के पैराग्राफ (1) के अनुसार निलम्बन या कटौती के आधीन है।

(d) 2016-17 वित्तीय वर्ष और उसके बाद हर वित्तीय वर्ष के अक्टूबर 1 तक, उपखंड (b) के पैराग्राफ (4) और (5) के अनुसार वार्षिक बजट अधिनियम में बताये गये अनुमानों के आधार पर, कंट्रोलर, वित्त निदेशक के द्वारा प्रदत्त कार्यक्रम-सूची के अनुसार, सामान्य निधि और बजट स्टैबलाइजेशन अकाउंट के बीच, निम्न प्रकार धनराशियाँ ट्रांसफर करेगा:

(1) अगर उपखंड (b) के पैराग्राफ (2) के उपपैराग्राफ (G) में धनराशि शून्य से अधिक है, तो धारा 22 के उपखंड (a) के पैराग्राफ (1) के अनुसार किसी भी निलम्बन या कटौती के आधीन, उस राशि को सामान्य निधि से बजट स्टैबलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करें।

(2) अगर उपखंड (b) के पैराग्राफ (2) के उपपैराग्राफ (F) में वर्णित राशि उपखंड (b) के पैराग्राफ (2) के उपपैराग्राफ (E) के तहत परिकलित राशि से अधिक हो, तो उस अधिक राशि को बजट स्टैबलाइजेशन अकाउंट से वापस सामान्य निधि में ट्रांसफर करें।

(e) इस धारा के किसी भी अन्य प्रावधान के होते हुए भी, किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपखंड (a) के पैराग्राफ (2) तथा उपखंड (c) और (d) के अनुसार बजट स्टैबलाइजेशन अकाउंट के लिए ट्रांसफर उस राशि से अधिक नहीं होगा जो उस अकाउंट में, उपखंड (b) के अनुसार अनुमानित वित्तीय वर्ष के लिए करों से प्राप्त सामान्य निधि की राशि के 10 प्रतिशत से अधिक ट्रांसफर किये जाने पर, उस अकाउंट में बकाया बचती है। किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए, करों से प्राप्त सामान्य निधि की राशि जो, इस पैराग्राफ के अलावा, बजट स्टैबलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गयी होती, केवल बुनियादी ढाँचे के लिए खर्च की जा सकती है, जैसा सरकारी संहिता की धारा 13101 के द्वारा परिभाषित किया गया है, जैसे जनवरी 1, 2014 को पढ़ी गयी वह धारा, जिसमें उस पर आस्थगित रखरखाव शामिल है।

(f) उपखंड (b) में करों से प्राप्त सामान्य निधि के रूप में वर्णित धनराशियाँ धारा 8 के उद्देश्यों के लिए उस वित्तीय वर्ष के लिए करों से प्राप्त सामान्य निधि राशियाँ हैं जिस वित्तीय वर्ष से वे राशियाँ सम्बंधित हैं, लेकिन उन्हें इस आधार पर कि वे धनराशियाँ उसके बाद बजट स्टैबलाइजेशन अकाउंट से सामान्य निधि में ट्रांसफर हो जाती हैं, करों से प्राप्त अतिरिक्त सामान्य निधि राशियाँ नहीं माना जाता।

(g) कंट्रोलर, बजट स्टैबलाइजेशन अकाउंट की उन धनराशियों को, जिन्हें वह इस खंड के उद्देश्यों के लिए वर्तमान में अनावश्यक निर्धारित करता हो, सामान्य निधि की दैनिक नकदी प्राप्ति सम्बन्धी ज़रूरतों के प्रबंधन में मदद करने के लिए उपयोग में ला सकता है। इस उपखंड के अनुसार किया गया कोई भी उपयोग बजट स्टैबलाइजेशन अकाउंट के प्रयोजनों के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा।

(h) वार्षिक बजट अधिनियम में निम्नलिखित में से सभी में वर्णित अनुमान शामिल होंगे:

(1) उपखंड (a) का पैराग्राफ (2)।

(2) उपखंड (b) के पैराग्राफ (1) के उपपैराग्राफ (B) का वाक्यांश (ii)।

(3) उपखंड (b) के पैराग्राफ (1) का उपपैराग्राफ (F)।

(4) उपखंड (b) के पैराग्राफ (2) के उपपैराग्राफ (B) का वाक्यांश (ii)।

(5) उपखंड (b) के पैराग्राफ (2) का उपपैराग्राफ (G)।

चौथा— कि तत्सम्बन्धी अनुच्छेद XVI में धारा 21 जोड़ी गयी है, जिसे इस प्रकार पढा जाये: धारा 21. (a) पब्लिक स्कूल सिस्टम स्टैबलाइजेशन अकाउंट प्तद्वारा सामान्य निधि में बनाया जाता है।

(b) 2015-16 वित्तीय वर्ष से शुरू होकर, हर वित्तीय वर्ष के अक्टूबर 1 को या उससे पहले, धारा 20 के उपखंड (b) के अनुसार वार्षिक बजट अधिनियम में निर्धारित राशियों के आधार पर, कंट्रोलर, वित्त निदेशक के द्वारा प्रदत्त कार्यक्रम-सूची के अनुसार, सामान्य निधि से पब्लिक स्कूल सिस्टम स्टैबलाइजेशन अकाउंट में निम्नानुसार धनराशियाँ ट्रांसफर करेगा:

(1) (A) 2015-16 वित्तीय वर्ष के लिए, और उसके बाद के हर वित्तीय वर्ष के लिए, धारा 20 के उपखंड (b) के पैराग्राफ (1) के उपपैराग्राफ (C) में निर्धारित कोई भी धनात्मक राशि, इस खंड के किसी अन्य प्रावधान या धारा 22 के उपखंड (a) के पैराग्राफ (3) के अनुसार किसी भी कटौती या निलम्बन के आधीन, उपपैराग्राफ (B) के तहत परिकलित राशि में सामान्य निधि से पब्लिक स्कूल सिस्टम स्टैबलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की जायेगी।

(B) वित्त निदेशक उस राशि की गणना करेगा जिसके द्वारा धारा 20 के उपखंड (b) के पैराग्राफ (1) के उपपैराग्राफ (C) में निर्धारित धनात्मक राशि, धारा 8 के अनुसार उस वित्तीय वर्ष के लिए स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स और सामुदायिक कॉलेज डिस्ट्रिक्ट्स की सहायता के लिए राज्य के द्वारा लागू किये जाने के लिए आवश्यक सभी धनराशियों के साथ मिल कर, अनुच्छेद XIII B के अनुसार विनियोजित करों से प्राप्त सामान्य निधि से स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स और सामुदायिक कॉलेज डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कुल आबंटन राशियों के योग से और पूर्व वित्तीय वर्ष में आबंटित करों से प्राप्त स्थानीय धनराशियाँ, तथा पूर्व वित्तीय वर्ष में पब्लिक स्कूल सिस्टम स्टैबलाइजेशन अकाउंट से किये गये राशियों के आबंटनों से अधिक हो जाती है, इसमें से पूर्व वित्तीय वर्ष में इस खंड के अनुसार

पब्लिक स्कूल सिस्टम स्टैबलाइजेशन अकाउंट के लिए किये गये कोई भी ट्रांसफर और औसत दैनिक उपस्थिति में प्रतिशतता बदलाव के लिए समायोजित, धारा 8.5 के उपखंड (a) के अनुसार आबंटित कोई भी राजस्व राशियों तथा अनुच्छेद XIII B की धारा 8 के उपखंड (e) के पैराग्राफ (1) के अनुसार रहन-सहन की लागत में उच्चतर लागत के लिए समायोजित या स्कूल डिस्ट्रिक्ट और सामुदायिक कॉलेज डिस्ट्रिक्ट के सामान्य उद्देश्य आबंटनों के लिए लागू किये गये रहन-सहन की लागत सम्बन्धी समायोजन को घटाया।

(2) (A) 2016-17 वित्तीय वर्ष से शुरू होकर, और उसके के बाद हर वित्तीय वर्ष के लिए, उस सीमा तक जहाँ तक कि इस पैराग्राफ के तहत परिकलित राशि कंट्रोलर द्वारा पूर्व में किसी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए सामान्य निधि से पब्लिक स्कूल सिस्टम स्टैबलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की गयी राशियों से अधिक हो, उस वित्तीय वर्ष के लिए धारा 20 के उपखंड (b) के पैराग्राफ (2) के उपपैराग्राफ (C) के अनुसार परिकलित कोई भी धनात्मक राशि इस खंड के किसी अन्य प्रावधान या धारा 22 के उपखंड (a) के पैराग्राफ (3) के अनुसार इस ट्रांसफर की किसी भी कटौती या निलम्बन के आधीन, उपपैराग्राफ (B) के तहत परिकलित राशि में सामान्य निधि से पब्लिक स्कूल सिस्टम स्टैबलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की जायेगी।

(B) वित्त निदेशक उस राशि की गणना करेगा जिसके द्वारा धारा 20 के उपखंड (b) के पैराग्राफ (2) के उपपैराग्राफ (C) में निर्धारित धनात्मक राशि, धारा 8 के अनुसार उस वित्तीय वर्ष के लिए स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स और सामुदायिक कॉलेज डिस्ट्रिक्ट्स की सहायता के लिए राज्य के द्वारा लागू किये जाने के लिए आवश्यक सभी धनराशियों के साथ मिल कर, अनुच्छेद XIII B के अनुसार विनियोजित करों से प्राप्त सामान्य निधि से स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स और सामुदायिक कॉलेज डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कुल आबंटन राशियों के योग से और पूर्व वित्तीय वर्ष में आबंटित करों से प्राप्त स्थानीय धनराशियों, तथा पूर्व वित्तीय वर्ष में पब्लिक स्कूल सिस्टम स्टैबलाइजेशन अकाउंट से किये गये राशियों के आबंटनों से अधिक हो जाती है, इसमें से पूर्व वित्तीय वर्ष में इस खंड के अनुसार पब्लिक स्कूल सिस्टम स्टैबलाइजेशन अकाउंट के लिए किये गये कोई भी ट्रांसफर और औसत दैनिक उपस्थिति में प्रतिशतता बदलाव के लिए समायोजित, धारा 8.5 के उपखंड (a) के अनुसार आबंटित कोई भी राजस्व राशियों तथा अनुच्छेद XIII B की धारा 8 के उपखंड (e) के पैराग्राफ (1) के अनुसार रहन-सहन की लागत में उच्चतर लागत के लिए समायोजित या स्कूल डिस्ट्रिक्ट और सामुदायिक कॉलेज डिस्ट्रिक्ट के सामान्य उद्देश्य आबंटनों के लिए लागू किये गये रहन-सहन की लागत सम्बन्धी समायोजन को घटाया।

(c) 2016-17 वित्तीय वर्ष से शुरू होकर, और उसके के बाद हर वित्तीय वर्ष के लिए, अगर किसी वित्तीय वर्ष के लिए धारा 20 के उपखंड (b) के पैराग्राफ (2) के उपपैराग्राफ (C) के अनुसार परिकलित राशि उस वित्तीय वर्ष के लिए कंट्रोलर द्वारा पूर्व में सामान्य निधि से पब्लिक स्कूल सिस्टम स्टैबलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की गयी राशियों से कम है, तो इस अन्तर की राशि राज्य के द्वारा स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स और सामुदायिक कॉलेज डिस्ट्रिक्ट्स की सहायता के लिए पब्लिक स्कूल सिस्टम स्टैबलाइजेशन अकाउंट से विनियोजित और आबंटित की जायेगी।

(d) इस खंड के किसी भी अन्य प्रावधान के होते हुए भी, किसी वित्तीय वर्ष के लिए उपखंड (b) के अनुसार पब्लिक स्कूल सिस्टम स्टैबलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की जाने वाली राशि उस राशि से अधिक नहीं होगी जिससे धारा 8 के उपखंड (b) के पैराग्राफ (1) के अनुसार परिकलित राज्य सहायता की राशि उस वित्तीय वर्ष के लिए धारा 8 के उपखंड (b) के पैराग्राफ (2) के अनुसार परिकलित राज्य सहायता की राशि से अधिक नहीं है, उपखंड (b) के अनुसार उस वित्तीय वर्ष के लिए पब्लिक स्कूल सिस्टम स्टैबलाइजेशन अकाउंट में कोई भी राशि ट्रांसफर नहीं की जायेगी।

(e) इस खंड के किसी भी अन्य प्रावधान के होते हुए भी, उपखंड (b) के अनुसार ऐसे वित्तीय वर्ष के लिए पब्लिक स्कूल सिस्टम स्टैबलाइजेशन अकाउंट में कोई भी राशि ट्रांसफर नहीं की जायेगी जिसके लिए धारा 8 के उपखंड (d) के अनुसार एक रखरखाव कारक निर्धारित किया गया है।

(f) इस खंड के किसी भी अन्य प्रावधान के होते हुए भी, उपखंड (b) के अनुसार पब्लिक स्कूल सिस्टम स्टैबलाइजेशन अकाउंट में कोई भी राशि ट्रांसफर नहीं की जायेगी जब तक कि धारा 8 के उपखंड (d) और (e) के अनुसार 2014-15 वित्तीय वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्षों के लिए निर्धारित रखरखाव कारक पूरी तरह से आबंटित न कर दिया गया हो। उस वित्तीय वर्ष के बजट अधिनियम के आधार पर, कि यह शर्त पूरी की जायेगी, ट्रांसफर उस वित्तीय वर्ष, जिसमें यह निर्धारित किया गया है, के बाद के वित्तीय वर्ष में शुरू करके किये जा सकते हैं। अगर किसी वित्तीय वर्ष के लिए राशि ट्रांसफर की जाये जिसके लिए बाद में यह निर्धारित हो कि यह शर्त पूरी नहीं की गयी है, तो ट्रांसफर की वह राशि पब्लिक स्कूल सिस्टम स्टैबलाइजेशन अकाउंट से स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स और सामुदायिक

कॉलेज डिस्ट्रिक्ट्स की सहायता के लिए विनियोजित और आबंटित कर दी जायेगी। उस वर्ष के लिए कोई भी राशि ट्रांसफर नहीं की जायेगी जिसके लिए, उस वित्तीय वर्ष के बजट अधिनियम के आधार पर, यह निर्धारित किया गया था, कि यह शर्त पूरी नहीं की जायेगी लेकिन बाद में उस वर्ष या किसी पूर्व वित्तीय वर्ष में उसे पूरा किया जाना निर्धारित किया गया।

(g) इस खंड के किसी भी अन्य प्रावधान के होते हुए भी, ऐसे किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए कोई भी राशि पब्लिक स्कूल सिस्टम स्टैबलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की जायेगी जिसके लिए धारा 8 के उपखंड (b) के प्रावधानों में से कोई भी धारा 8 के उपखंड (h) के अनुसार निलम्बित किये गये हों।

(h) इस खंड के किसी भी अन्य प्रावधान के होते हुए भी, किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए, उपखंड (b) के अनुसार पब्लिक स्कूल सिस्टम स्टैबलाइजेशन अकाउंट में किसी ट्रांसफर की राशि उस राशि से अधिक नहीं होगी जिसके कारण अकाउंट में इतनी बकाया राशि हो जो अनुच्छेद XIII B के अनुसार करों से प्राप्त सामान्य निधि से स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स और सामुदायिक कॉलेज डिस्ट्रिक्ट्स के लिए विनियोजित कुल आबंटनों और धारा 8 के अनुसार उस वित्तीय वर्ष के लिए आबंटित करों से प्राप्त स्थानीय धनराशियों के 10 प्रतिशत से अधिक हो। किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए, करों से प्राप्त सामान्य निधि जो, इस उपखंड को छोड़ कर, पब्लिक स्कूल सिस्टम स्टैबलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गयी होती, उसे राज्य के द्वारा स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स और सामुदायिक कॉलेजों के लिए लागू किया जायेगा।

(i) किसी भी उस उस वित्तीय वर्ष में जिसमें धारा 8 के अनुसार स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स और सामुदायिक कॉलेज डिस्ट्रिक्ट्स की सहायता के लिए राज्य के द्वारा लागू किये जाने के लिए आवश्यक राशि अनुच्छेद XIII B के अनुसार विनियोजित करों से प्राप्त सामान्य निधि से स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स और सामुदायिक कॉलेज डिस्ट्रिक्ट्स के लिए कुल आबंटन राशियों के योग से और पूर्व वित्तीय वर्ष में करों से प्राप्त आबंटित स्थानीय धनराशियों, तथा पूर्व वित्तीय वर्ष में पब्लिक स्कूल सिस्टम स्टैबलाइजेशन अकाउंट से किये गये राशियों के आबंटनों से अधिक हो जाती है, इसमें से पूर्व वित्तीय वर्ष में पब्लिक स्कूल सिस्टम स्टैबलाइजेशन अकाउंट के लिए किये गये कोई भी ट्रांसफर और औसत दैनिक उपस्थिति में प्रतिशतता बदलाव के लिए समायोजित, धारा 8.5 के उपखंड (a) के अनुसार आबंटित कोई भी राजस्व राशियों तथा अनुच्छेद XIII B की धारा 8 के उपखंड (e) के पैराग्राफ (1) के अनुसार रहन-सहन की लागत में उच्चतर लागत के लिए समायोजित या स्कूल डिस्ट्रिक्ट और सामुदायिक कॉलेज डिस्ट्रिक्ट के सामान्य उद्देश्य आबंटनों के लिए लागू किये गये रहन-सहन की लागत सम्बन्धी समायोजन को कम करें, कमी की राशि को राज्य के द्वारा स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स और सामुदायिक कॉलेज डिस्ट्रिक्ट्स की सहायता के लिए पब्लिक स्कूल सिस्टम स्टैबलाइजेशन अकाउंट से विनियोजित और आबंटित किया जायेगा।

(j) धारा 8 के उद्देश्यों के लिए, पब्लिक स्कूल सिस्टम स्टैबलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की जाने वाली धनराशियाँ, राज्य के द्वारा स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स और सामुदायिक कॉलेज डिस्ट्रिक्ट्स की सहायता के लिए उस वित्तीय वर्ष में लागू की गयी धनराशियाँ मानी जायेगी जिसके लिए वह ट्रांसफर किया गया है, न कि जिस वित्तीय वर्ष में धनराशियों को अकाउंट से विनियोजित किया गया है।

(k) इस खंड में कही गयी किसी भी बात का अर्थ धारा 8 और 8.5 के अनुसार राज्य के द्वारा स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स और सामुदायिक कॉलेज डिस्ट्रिक्ट्स की सहायता के लिए लागू किये जाने वाली धनराशियों की मात्रा को कम करने के लिए नहीं लगाया जायेगा।

(l) कंट्रोलर, पब्लिक स्कूल सिस्टम स्टैबलाइजेशन अकाउंट की उन धनराशियों को, जिन्हें वह इस खंड के उद्देश्यों के लिए वर्तमान में अनावश्यक निर्धारित करता हो, सामान्य निधि की दैनिक नकदी प्राप्ति सम्बन्धी ज़रूरतों के प्रबंधन में मदद करने के लिए उपयोग में ला सकता है। इस उपखंड के अनुसार कंट्रोलर के द्वारा धनराशियों का किया गया कोई भी उपयोग पब्लिक स्कूल सिस्टम स्टैबलाइजेशन अकाउंट के उद्देश्यों के साथ हस्तक्षेप नहीं करेगा।

पॉचवा— कि तत्सम्बन्धी अनुच्छेद XVI में धारा 22 जोड़ी गयी है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाये: धारा 22. (a) गवर्नर के द्वारा बजट आपातकाल घोषित किये जाने और आपातकाल का गठन करने वाली स्थितियों का निर्धारण किये जाने पर, विधानमंडल ऐसा बिल पारित कर सकता है जो निम्नलिखित में से कोई एक काम करता है:

(1) धारा 20 के द्वारा आवश्यक सामान्य निधि से बजट स्टैबलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की जाने वाली धनराशियों को एक वित्तीय वर्ष के लिए निलम्बित कर देता है या निर्दिष्ट डॉलर राशि से कम कर देता है।

(2) (A) धारा 20 के अनुसार बजट स्टैबलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकीं धनराशियों को बजट आपातकाल का समाधान करने हेतु विनियोजन के लिए सामान्य निधि को वापस लौटा देता है।

(B) किसी भी वित्तीय वर्ष में उपपैराग्राफ (A) के अनुसार बजट स्टैबलाइज़ेशन अकाउंट में बकाया राशि का अधिकतम 50 प्रतिशत विनियोग के लिए सामान्य निधि को वापस लौटाया जा सकता है, जब तक कि बजट स्टैबलाइज़ेशन अकाउंट की धनराशियां ताकालिक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में ही विनियोग के लिए सामान्य निधि को वापस न लौटा दी गयी हों।

(3) धारा 21 के द्वारा आवश्यक सामान्य निधि से पब्लिक स्कूल सिस्टम स्टैबलाइज़ेशन अकाउंट में ट्रांसफर की जाने वाली धनराशियों को एक वित्तीय वर्ष के लिए निलम्बित कर देता है या निर्दिष्ट डॉलर राशि से कम कर देता है।

(4) धारा 21 के अनुसार पब्लिक स्कूल सिस्टम स्टैबलाइज़ेशन अकाउंट में ट्रांसफर की गयी धनराशियां लेकर उन्हें स्कूल डिस्ट्रिक्ट्स और सामुदायिक कॉलेज डिस्ट्रिक्ट्स की सहायता के लिए आबंटित करता है।

(b) इस खंड के उद्देश्यों के लिए, "बजट आपातकाल" का मतलब निम्नलिखित में से कोई है:

(1) अनुच्छेद XIII B की धारा 3 के उपखंड (c) के पैराग्राफ (2) के अर्थ के भीतर गवर्नर के द्वारा घोषित कोई आपातकाल।

(2) (A) गवर्नर के द्वारा किया गया कोई ऐसा निर्धारण कि अनुमानित संसाधन, निम्नलिखित दोनों के लिए समायोजित, तीन सबसे हाल के बजट अधिनियमों में से किसी के भी अधिनियमन के समय अनुमानित सामान्य निधि के कुल खर्चों की अधिकतम राशि के बराबर के स्तर पर, ऋणधारों को चुकता करने के लिए आरक्षित निधि के लिए धनराशियों को अलग रखने के बाद, वर्तमान या आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सामान्य निधि के खर्चों का वित्तपोषण करने के लिए अपर्याप्त हैं;

(i) California उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के द्वारा मापे गये अनुसार, राज्य के लिए रहन-सहन की लागत में वार्षिक प्रतिशतता बदलाव।

(ii) सरकारी संहिता की धारा 7901 के उपखंड (b) के अनुसार राज्य की नागरिक आबादी में वार्षिक प्रतिशतता वृद्धि।

(B) इस पैराग्राफ के तहत निर्धारित किसी बजट आपातकाल के लिए निकाली जा सकने वाली अधिकतम राशि या तो किसी वित्तीय वर्ष के लिए सामान्य निधि व्यय के कुल ऐसे स्तर जो उपपैराग्राफ (A) के अनुसार परिकलित तीन सबसे हाल के बजट अधिनियमों में से किसी के भी अधिनियमन के समय अनुमानित सामान्य निधि के कुल खर्चों की अधिकतम राशि से अधिक है, या उपखंड (a) के पैराग्राफ (2) के उपपैराग्राफ (B) द्वारा लगायी गयी किसी भी सीमा से अधिक नहीं होगी।

## प्रस्ताव 45

यह पहल सम्बंधी विधेयक California के संविधान के अनुच्छेद II की धारा 8 के प्रावधानों के अनुरूप लोगों के लिए पेश है।

यह पहल सम्बंधी विधेयक बीमा संहिता में एक धारा जोड़ता है; इसलिए, जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नये प्रावधान, यह दर्शाने के लिए कि वे नये हैं, तिरछे टाइप में छापे गये हैं।

## प्रस्तावित कानून

बीमा दर लोक औचित्य और जवाबदेही अधिनियम

धारा 1. निष्कर्ष और उद्देश्य।

स्वास्थ्य बीमा, गृह बीमा और वाहन बीमा आर्थिक आवश्यकता या कानून के बल के कारण Californiaवासियों के लिए अनिवार्य हैं। ऐसे मामलों में, यह गारंटी करना सरकार का दायित्व है कि बीमा सस्ता, उपलब्ध, प्रतिस्पर्धी और निष्पक्ष है।

इस विधेयक का उद्देश्य स्वास्थ्य, गृह और वाहन बीमा के लिए निम्नलिखित के द्वारा उचित और पारदर्शी दरें सुनिश्चित करना है: (1) स्वास्थ्य बीमा कम्पनियों के लिए, झूठी गवाही के दंड के तहत, उनकी दरों के बारे में सार्वजनिक रूप से जानकारी देने और उनका औचित्य साबित करना आवश्यक बना कर, इससे पहले कि दरें प्रभावी हो सकें; (2) स्वास्थ्य, गृह और वाहन बीमा के लिए पूर्व कवरेज और साख सम्बन्धी इतिहास के आधार पर अनुचित मूल्य निर्धारण पर रोक लगा कर; और (3) स्वास्थ्य बीमा कम्पनियों के लिए इन नये कानूनों को लागू करने की लागतों को कवर करने हेतु एक शुल्क का भुगतान करना आवश्यक बना कर ताकि इस पहल के लिए करदाताओं को कुछ भी खर्च नहीं करना पड़े।

धारा 2. बीमा दरों की सार्वजनिक जाँच और समीक्षा।

बीमा संहिता में धारा 1861.17 जोड़ी गयी है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाये:

1861.17. (a) स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता की धारा 1851 के उपखंड (e) और धारा 10181 से 10181.13 तक, को मिलाकर, धारा 1385.01 से 1385.13 तक, को मिलाकर,

या कानून के किसी अन्य प्रावधान के होते हुए भी, स्वास्थ्य बीमा के लिए धारा 1861.03 के उपखंड (a) और (b) और धारा 1861.04 से 1861.14 तक, को मिलाकर, लागू होंगी। नवम्बर 6, 2012 के बाद प्रस्तावित स्वास्थ्य बीमा दरें, उनके उपयोग से पूर्व आयुक्त द्वारा मंजूर की जायेंगी, और नवम्बर 6, 2012 को प्रभावी स्वास्थ्य बीमा दरें, इस धारा के तहत वापसी के आधीन हैं। स्वास्थ्य बीमा दरों के आवेदनों के साथ कम्पनी के मुख्य कार्यपालक के द्वारा झूठी गवाही के दंड के तहत शपथबद्ध, यह घोषित करता हुआ वक्तव्य भी होगा कि विषय-वस्तु सही है और सभी प्रकार से California के कानून का पालन करती है।

(b) अवस्था में बदलाव सम्बन्धी एक अवधि होगी जिसके दौरान आयुक्त, उपखंड (c) की आवश्यकता के अनुसार सशर्त आधार पर और वापसी के आधीन, नये स्वास्थ्य बीमा के लिए ऐसी दरों की अनुमति दे सकता है जो धारा 1861.05 के अनुसार मंजूर नहीं की गयी हों, बशर्ते (1) कि दरों को लागू किये जाने की तारीख जनवरी 1, 2014 या उससे पहले की हो, और (2) कि वह नया स्वास्थ्य बीमा पूर्व में California में मार्केट नहीं किया गया हो और उसमें जनवरी 1, 2012 को प्रभावी संधीय कानून, या राज्य के कानून के द्वारा अनिवार्य बनाये गये प्रावधान शामिल हों।

(c) धारा 1861.10 के उपखंड (a) के अधिकार के अनुसार किसी कार्यवाही में, जिसमें धारा 1861.03 या 1861.05 के तहत कार्यवाही भी शामिल है, जहाँ यह निर्धारित किया गया है कि कम्पनी के द्वारा ऐसी बीमा दरें वसूल किये जाने पर जो अत्यधिक हों या अन्यथा इस अनुच्छेद का उल्लंघन करती हों, कम्पनी के लिए, कानून के किसी अन्य प्रावधान के बावजूद, ब्याज के साथ रिफंडस तथा कानून द्वारा अनुमत किसी भी अन्य दंड का भुगतान करना आवश्यक होगा।

(d) स्वास्थ्य, ऑटो, और होमओनर्स बीमे के सम्बन्ध में, पूर्व बीमा कवरेज, या व्यक्ति के साख के इतिहास का अभाव पॉलिसी या अनुबंध की पातला का निर्धारण करने के लिए, या आमतौर पर दरों, प्रीमियम, या बीमा-पातला का निर्धारण करने के लिए मापदंड नहीं होगा।

(e) कानून के किसी अन्य प्रावधान के होते हुए भी, आयुक्त को इस खंड के प्रावधानों को कार्यावित करने के लिए आवश्यक अधिकार प्रदान किये गये हैं, जिनमें धारा 1385.01 के द्वारा प्रबंधित स्वास्थ्य देखभाल विभाग को मंजूर की गयी स्वास्थ्य देखभाल सेवा योजना दर की समीक्षा करने और स्वास्थ्य व सुरक्षा संहिता का पालन करने के लिए कोई भी और समस्त अधिकार शामिल हैं।

(f) स्वास्थ्य बीमा कम्पनियों धारा 12979 के द्वारा आवश्यक फाइलिंग फीस अदा करेगी, जो, सरकारी संहिता की धारा 13340 के होते हुए भी, इस खंड से उत्पन्न होने वाली कोई भी परिचालन सम्बन्धी या प्रशासनिक लागतों को कवर करने के लिए लगातार विनियोजित की जाती हैं। आयुक्त ऐसे सभी खर्चों और इस खंड के प्रभाव को सालाना तौर पर जनसामान्य को रिपोर्ट करेगा।

(g) इस खंड के उद्देश्यों के लिए:

(1) "स्वास्थ्य बीमा" का मतलब है California में जारी की गयी या सौंपी गयी कोई ऐसी पॉलिसी या अनुबंध (A) जैसा धारा 106 के उपखंड (b) में बताया गया है, या (B) कोई ऐसी स्वास्थ्य देखभाल सेवा योजना, जैसी स्वास्थ्य व सुरक्षा संहिता की धारा 1345 के उपखंड (f) में परिभाषित की गयी है।

(2) "दर" का मतलब है स्वास्थ्य बीमा के लिए निर्धारित दाम या कुछ भी जो स्वास्थ्य बीमा से जुड़े दामों को प्रभावित करता है, जिसमें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, लाभ, प्रीमियम, आधार दरें, हामीदारी सापेक्षतायें, छूट, सह-भुगतान, सहबीमा, कटौतियां, प्रीमियम वित्तपोषण, किश्त शुल्क, और पॉलिसी धारक की कोई अन्य फुटकर लागतें।

(3) निम्नलिखित इस खंड के आधीन नहीं होगा: स्वास्थ्य व सुरक्षा संहिता की धारा 10181 के उपखंड (a) या धारा 1385.01 के उपखंड (a) के द्वारा परिभाषित किये गये अनुसार बड़े समूह की स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी या अनुबंध, या स्वास्थ्य व सुरक्षा संहिता की धारा 10181.2 या 1385.02 के अंतर्गत छोड़ी गयी कोई पॉलिसी या अनुबंध, क्योंकि वे प्रावधान जनवरी 1, 2011 को प्रभावी थे।

धारा 3. तकनीकी मामले।

इस अधिनियम के अंतर्निहित उद्देश्यों को पूरी तरह से बढ़ावा देने के लिए इसका अर्थ उदारतापूर्वक लगाया जायेगा और इसे उदारतापूर्वक लागू किया जायेगा, और इसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, विधानमंडल के द्वारा संशोधित नहीं किया जायेगा सिवाय जर्नल में दर्ज रोलकॉल वोट के द्वारा हर सदन में पारित कानून के द्वारा इसके उद्देश्यों को आगे बढ़ाने हेतु, दो तिहाई सदस्यों की सहमति के साथ, या ऐसे कानून के द्वारा जो केवल उस समय प्रभावी होगा जब मतदाताओं के द्वारा इसे मंजूर कर दिया जायेगा। अगर इस अधिनियम का कोई प्रावधान अथवा किसी व्यक्ति या परिस्थितियों के लिए उसका प्रयोग अमान्य या अप्रवर्तनीय ठहराया जाता है, तो यह इस अधिनियम के दूसरे ऐसे प्रावधानों या प्रयोगों को प्रभावित नहीं करेगा जिन्हें अमान्य या अप्रवर्तनीय प्रावधान के बिना प्रभावी किया जा सकता हो, और इस उद्देश्य के लिए इस अधिनियम के प्रावधान पृथक्पृथक् हैं।

2

45

प्रस्ताव 46

यह पहल सम्बंधी विधेयक California संविधान के अनुच्छेद II की धारा 8 के प्रावधानों के अनुपालन में California के लोगों को पेश किया जाता है।

यह पहल सम्बंधी विधेयक व्यवसाय और पेशा संहिता में धारा जोड़ता है, नागरिक संहिता में धारा जोड़ता और संशोधित करता है, तथा स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता में एक धारा जोड़ता है; इसलिए, हटायें जाने के लिए प्रस्तावित मौजूदा प्रावधान काटी हुई टाइटल में और जोड़े जाने के लिए प्रस्तावित नये प्रावधान, यह बताने के लिए कि वे नये हैं, *तिरछे टाइटल* में छापे गये हैं।

प्रस्तावित कानून

Troy और Alana Pack रोगी सुरक्षा अधिनियम 2014

धारा 1. शीर्षक।

इस विधेयक को Troy और Alana Pack रोगी सुरक्षा अधिनियम 2014 के रूप में जाना जाएगा।

धारा 2. निष्कर्ष और घोषणाएँ।

California के लोग निम्न निष्कर्ष देते हैं और घोषणा करते हैं:

1. रोगियों की सुरक्षा का ध्यान रखना लोगों के लिए बहुत अधिक महत्व का विषय है।  
2. California में चिकित्सकों यानि डॉक्टरों द्वारा नशीले पदार्थों का दुरुपयोग एक बढ़ती हुई समस्या है जिससे प्रति वर्ष अधिक से अधिक रोगियों को नुकसान पहुँच रहा है। पिछले वर्ष, California के चिकित्सा बोर्ड ने बताया था कि उसने पिछले वर्ष की तुलना में इस बार अधिक चिकित्सकों को निलंबित किया है और "यह वृद्धि चिकित्सक अक्षमता मामलों की बढ़ती हुई संख्या के देखे गए रूझानों से संबंधित है।"

3. अध्ययनों से पता चला है कि दस में से कम एक चिकित्सक अपने करियर के दौरान दवाई या शराब के दुरुपयोग का शिकार होता है। Annals of Internal Medicine में एक लेख के अनुसार, एक-तिहाई चिकित्सक, अपने करियर के किसी न किसी दौर में, शराब या दवाई के दुरुपयोग सहित, ऐसी किसी स्थिति का अनुभव करते हैं, जो चिकित्सा के पेशे को सुरक्षित रूप से जारी रखने की उनकी क्षमता को बाधित कर देती है। फिर भी, चिकित्सकों के लिए कोई अनिवार्य दवाई और शराब परीक्षण मौजूद नहीं है, जैसा कि पायलट, ड्राइवर, और सुरक्षा-संवेदी पेशों से जुड़े अन्य लोगों के लिए है, और साथ ही जब तक कि किसी नशीले पदार्थ के दुरुपयोग की समस्या का पता नहीं चल जाता है तब तक चिकित्सकों को इलाज करने से रोकने के कोई प्रभावी सुरक्षा मानक मौजूद नहीं हैं।

4. काम पर रहकर नशीली दवाइयों और शराब से बाधित होने वाले चिकित्सक बड़े स्तर पर रोगियों और लोगों के लिए एक बड़ा गंभीर खतरा होते हैं। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन की एक पत्रिका में उल्लिखित एक अनुमान के अनुसार, सभी अस्पताल भर्तियों की एक-तिहाई में एक मेडिकल वृत्ति होती है – और चिकित्सकों का अक्षम होना भी रोगियों को इस प्रकार होने वाली हानि में योगदान करता है। कार्य के दौरान बाधित रहने वाले चिकित्सक किसी संक्रामक या जीवन-घाती रोग का गलत उपचार कर सकते हैं, सर्जरी या अन्य प्रक्रियाओं को खतरनाक और गैरपेशेवर तरीके से निष्पादित कर सकते हैं, और इस प्रकार की दवाइयों लिख कर दे सकते हैं जिनसे उनके रोगियों को स्थायी क्षति या उनकी मौत भी हो सकती है।

5. अध्ययन बताते हैं कि एक छोटे प्रतिशत में कई चिकित्सक, जिनमें नशीली दवाइयों और शराब का दुरुपयोग करने वाले चिकित्सक भी शामिल हैं, अधिकांश रूप से अनाचार करते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी तक भी कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है जो चिकित्सकों के लिए ऐसे सहकर्मियों की रिपोर्ट करना अनिवार्य बनाता हो जिन पर चिकित्सकीय लापरवाही का संदेह हो या जो किसी प्रभाव के तहत इलाज करते हों।

6. रोगियों को ऐसे चिकित्सकों से भी हानि हो रही है जो प्रिस्क्रिप्शन की नशीली दवाइयों को आवश्यकता से अधिक मात्रा में लिख देते हैं और प्रिस्क्रिप्शन की नशीली दवाई के दुरुपयोग को रोकने में विफल होते हैं। सेंटर्स फॉर डिसेस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने यह रिपोर्ट दी है कि अधिक मात्रा में दवाई लेना गंभीर क्षति का प्रमुख कारण है, और उनमें से अधिकांश मौतें प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयों से होती हैं, फिर भी किसी रोगी को लत लगने वाली और संभावित रूप से हानिकारक नशीली दवाओं को लिखते समय California के बहुत कम चिकित्सक ही CURES नामक राज्य-चलित इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में उस रोगी के उपचार इतिहास को जाँचते हैं।

7. ऐसे रोगी जिन्हें नशीली दवाइयों या शराब द्वारा बाधित चिकित्सकों, नशीली दवाओं को मात्रा से अधिक लिख कर देने वाले चिकित्सकों, अथवा अन्य लापरवाही वाले चिकित्सकीय कृत्य करने वाले चिकित्सकों के कारण हानि होती है, वे रोगी दर्द, पीड़ा, शारीरिक बाधा, विरूपण, और जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आने जैसी बातों के लिए मुआवजा प्राप्त करने के लिए पात्र होते हैं। चिकित्सकीय अनदेखी के कारण मारे गए व्यक्तियों के परिवार को उनके प्रियजनों की क्षति के लिए उचित और पर्याप्त मुआवजा हासिल करना चाहिए।

8. हालाँकि, 1975 में, इन क्षतियों के मुआवजे के लिए विधानसभा ने \$250,000 की अधिकतम राशि निर्धारित की थी। खतरनाक चिकित्सकों को जिम्मेदार ठहराने के लिए रोगियों के कानूनी अधिकारों पर गंभीर प्रतिबंध के साथ ही यह वादा भी किया गया था कि रोगियों को क्षति से बचाने के लिए एक सशक्त नियामक तंत्र बनाया जाएगा। हालाँकि, पिछले 38 वर्षों के रोगी सुरक्षा अपवादों को देखकर लगता है कि चिकित्सक स्वयं पर निगरानी रखने में नाकाम सिद्ध हुए हैं।

9. 38 वर्षों के बाद, मंहगाई को देखते हुए उस \$250,000 की अधिकतम राशि में कभी कोई बदलाव नहीं किया गया। निर्णायक समिति के आदेशों के बाद भी, यह कानून बच्चों की जान के मूल्य, और साथ ही साथ चिकित्सकीय अनदेखी से चोटिल हुए सभी लोगों के जीवन की गुणवत्ता में आई कमी को \$250,000 की राशि तक ही सीमित रखता है, भले ही अनाचार कितना ही घोर हो या चोट कितनी ही गंभीर क्यों न हो। इसके परिणामस्वरूप, लापरवाह चिकित्सकों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है और रोगी की सुरक्षा प्रभावित हुई है।

10. शोध में पता चला है कि चिकित्सकीय अनदेखी के कारण चोटग्रस्त हुए रोगियों को उचित और पर्याप्त मुआवजा देने से, अनाचार के अभियोगों ने स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को उनकी गलतियों को स्वीकार करने में और भी पारदर्शी और ईमानदार बनाने में मदद की है और फिर दोहराई जाने वाली वृत्तियों को कम करने के लिए उन्हें सुधारात्मक कदम उठाने हेतु बाध्य किया है, जिससे रोगियों को भविष्य में होने वाली क्षतियों के अवसरों में कमी आई है और यह अनाचारों का निवारण हो सका है।

धारा 3. उद्देश्य और मंशा।

यह California के लोगों का ही उद्देश्य है कि इस विधेयक को लागू किया जाए ताकि:

1. अस्पतालों के लिए उनके यहाँ कार्य करने वाले चिकित्सकों का समय-समय पर नशीली दवाई और शराब का परीक्षण करना अनिवार्य बनाकर और किसी अनायास मौत या गंभीर क्षति होने के बाद में चिकित्सकों की जाँच को आवश्यक बनाकर शराब या नशीली दवाई से बाधित होने वाले चिकित्सकों के कारण रोगियों और उनके परिवारों को होने वाली हानि से बचाया जा सके।

2. चिकित्सकों के लिए कार्य पर होने के दौरान नशीली दवाई या शराब से बाधित प्रतीत होने वाले अन्य चिकित्सकों की रिपोर्ट करना अनिवार्य हो अथवा यदि किसी प्रतिकूल स्थिति के दौरान किसी रोगी की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार कोई चिकित्सक देखभाल के उपयुक्त मानकों का पालन नहीं करता है तो उसकी रिपोर्ट करके रोगियों और उनके परिवारों को सुरक्षित रखा जा सके।

3. अस्पताल नशीली दवाई और शराब परीक्षणों के किन्हीं भी सत्यापित पोजिटिव परिणामों की रिपोर्ट California चिकित्सकीय बोर्ड को करें।

4. ड्यूटी पर शराब या नशीली दवाई के परीक्षण में पोजिटिव पाए जाने वाले किसी भी डॉक्टर अथवा इस प्रकार के परीक्षण से जानबूझकर बचने और इससे इनकार करने वाले चिकित्सक को जाँच पूरी होने तक चिकित्सा पेशे में कार्य करने से अस्थायी रूप से निलंबित किया जाए।

5. यदि बोर्ड को यह पता चलता है कि ड्यूटी के दौरान या किसी प्रतिकूल स्थिति के समय डॉक्टर नशीली दवाई या शराब के प्रभाव में था अथवा चिकित्सक ने नशीली दवाई और शराब के परीक्षण से जानबूझकर बचने या इनकार करने का प्रयास किया है, तो बोर्ड किसी चिकित्सक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करे।

6. किसी भी रोगी के लिए पहली बार शेड्यूल II या शेड्यूल III की कोई दवाई लिखने के पहले चिकित्सक राज्य के नियंत्रित पदार्थ उपयोग समीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली (CURES) के डेटाबेस को जाँच लें और, यदि रोगी के पास पहले से यदि कोई प्रिस्क्रिप्शन मौजूद है, तो रोगियों और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए, दवाई लिखने के पूर्व यह पता लगाएँ कि रोगी को वाकई में उस चिकित्सा की आवश्यक है।

7. चिकित्सकीय अनदेखी के मुकदमों में दर्द, पीड़ा, शारीरिक बाधा, विरूपण, जीवन की गुणवत्ता में गिरावट, और मौत के लिए विधानसभा द्वारा 1975 में निर्धारित की गई \$250,000 की अधिकतम राशि को मंहगाई के अनुसार बढ़ाया जा सके और स्वास्थ्य सेवा उत्तरदायित्व को बढ़ावा देने, एक निवारक के रूप में कार्य करने, और लापरवाह चिकित्सकों के कारण क्षति झेलने वाले रोगियों, उनके परिवारों और अन्य लोगों को उनके पूरे नुकसान की भरपाई की जा रही है यह सुनिश्चित करने के लिए भविष्य में वार्षिक प्रतिपूर्तियाँ प्रदान की जाएँ।

8. चिकित्सकीय अनदेखी के मामलों में अटॉर्नी की फीस की अधिकतम सीमा को नियंत्रित रखा जा सके।

धारा 4. अनुच्छेद 14 (धारा 2350.10 के साथ शुरू करते हुए) व्यवसाय और पेशा संहिता के खंड 2 के अध्याय 5 में जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जायें:

अनुच्छेद 14. चिकित्सक और सर्जन का शराब या नशीली दवाई की बाधा से बचाव

2350.10. California चिकित्सा बोर्ड इस अनुच्छेद का प्रबंधन करेगा, और इस अनुच्छेद के प्रभावी होने के दिनांक के एक वर्ष के भीतर इसे लागू करने के लिए आवश्यक विनियमों को अपनाएगा। ये विनियम नशीली दवा और शराब परीक्षण के मानकों के संगत होंगे, जिनमें, नमूनों को एकत्र करना, नमूनों की जाँच, नशीली दवाओं और शराब की सान्द्रता, जाँच परिणामों का सत्यापन, परीक्षण के विषय के अनुसार प्रतिरूप के एक नमूने के परीक्षण के प्रतिरूपों और अनुरोधों

का अवधारण, रिकॉर्ड बनाकर रखना, नियम प्रक्रिया, झूठी पर वापसी, और निजता व गोपनीयता आदि शामिल हैं किंतु यह इन्हीं तक सीमित नहीं है, जो कि संपीय विनियमों की संहिता के शीर्षक 49, भाग 40, में निर्दिष्ट हैं, जो इस अधिनियम के प्रभावी दिनांक से उस सीमा तक लागू रहेंगे जब तक कि इस प्रकार के मानक इस अधिनियम या *California* या *United States* संविधान की शर्तों के विरोधाभास में नहीं होते हैं।

2350.15. इस अनुच्छेद के उद्देश्य के लिए, निम्न शब्दों के निम्न अर्थ हैं:

(a) "परीक्षण" या "जाँच" का अर्थ है झूठी पर होने के दौरान नशीली दवाई या शराब के ऐसे उपयोग के लिए किसी चिकित्सक की जाँच जिससे कि चिकित्सक की उपचार करने की योग्यता बाधित हो सकती है या बाधित हुई हो।

(b) "प्रतिकूल स्थिति" का भी अर्थ स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता की धारा 1279.1 में निर्दिष्ट बातों के ही समान है।

(c) "बोर्ड" का आशय *California* चिकित्सकीय बोर्ड से है।

(d) "नशीली दवाई" का अर्थ है गांजे की लत, कोकेन की लत, एमफेटेमीन, अफ्रीम की लत, और फेनसाइक्लोडाइन (PCP) यदि कोई चिकित्सक नशीली दवा का इस प्रकार प्रयोग करता है जिससे कि कोई नुकसान नहीं होता है तो "नशीली दवा" में किसी विशिष्ट चिकित्सकीय स्थिति के लिए किसी लायसेंसकृत तृतीय पक्ष द्वारा लिखी गई नशीली दवाई शामिल नहीं होती है।

(e) इस अध्याय में "चिकित्सक" का मतलब किसी चिकित्सक या सर्जन का प्रमाणपत्र रखने वाले व्यक्ति से है।

(f) "अस्पताल" का अर्थ एक सामान्य गहन देखभाल वाले अस्पताल से है जैसा कि स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता की धारा 1250 में परिभाषित किया गया है अथवा एक क्रमानुयायी कानून और किसी "बाह्यरोगी व्यवस्था" से है जैसा कि स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता या किसी क्रमानुयायी कानून की धारा 1248 के उपखंड (b) के अनुच्छेद (1) में परिभाषित किया गया है।

(g) "सत्यापित पोजिटिव जाँच परिणाम" का अर्थ किसी ऐसे पोजिटिव जाँच परिणाम से है जिसे बोर्ड द्वारा स्थापित किसी प्रक्रिया द्वारा सत्यापित किया गया हो जिसमें कोई पृष्ठिकरण जाँच, चिकित्सक के लिए कोई स्पष्टीकरण प्रदान करने का अवसर, और किसी चिकित्सा समीक्षा अधिकारी द्वारा समीक्षा और व्याख्या शामिल होती है, और जो बाध्यता के लिए बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट सान्द्रता स्तरों को पूरा करती है।

2350.20. प्रत्येक चिकित्सक को निश्चित रूप से, और कोई अन्य व्यक्ति, किसी चिकित्सक के झूठी के दौरान नशीली दवाओं या शराब के प्रभाव में होने या रहने की जानकारी होने पर, अथवा किसी प्रतिकूल स्थिति में किसी रोगी की देखभाल और उपचार के लिए जिम्मेदार किसी चिकित्सक द्वारा देखभाल के उचित मानकों का पालन नहीं करने की स्थिति में बोर्ड को रिपोर्ट करे। कानून के किसी अन्य प्रावधान के होते हुए भी, अच्छी मंशा के साथ बोर्ड को इस प्रकार की रिपोर्ट करने वाले चिकित्सक या अन्य व्यक्ति को इस प्रकार की रिपोर्ट में व्यक्त किसी भी कथन या राय के लिए इस राज्य के किसी भी कानून के तहत उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

2350.25. (a) इस अनुच्छेद को क्रियान्वित करने हेतु बोर्ड द्वारा अपनाए गए विनियमों के प्रभावी दिनांक पर, अस्पताल निम्न प्रकार से चिकित्सकों पर नशीली दवाओं और शराब की जाँचें करेंगे:

(1) ऐसे चिकित्सक जो कर्मचारी या ठेकेदार हैं या जिनके पास रोगियों को भर्ती करने के अधिकार हैं, उन पर आकस्मिक रूप से।

(2) किसी प्रतिकूल स्थिति के होने के तुरंत बाद ऐसे चिकित्सकों पर जो उस घटना के दौरान रोगी की देखभाल और उपचार के लिए जिम्मेदार थे या जिन्होंने घटना के 24 घंटे के भीतर रोगी का इलाज किया या उसके लिए कोई दवा लिखी हो। जाँच कराना चिकित्सक की जिम्मेदारी है, जिसे शीघ्रताशीघ्र स्वयं को जाँच के लिए अस्पताल में उपलब्ध कराना होगा, और प्रतिकूल स्थिति की जानकारी मिलने पर चिकित्सक द्वारा 12 घंटे के भीतर अस्पताल में जाँच के लिए उपस्थित नहीं होने पर चिकित्सक का लायसेंस निलंबित किया जा सकता है।

(3) किसी अनुशासक के अधीन आने वाले किसी चिकित्सक पर धारा 2350.20 के अनुरूप किसी अनुशासक के बाद बोर्ड के निर्देश पर।

(b) अस्पताल को चिकित्सक के परीक्षण के खर्च का भुगतान उसी से करवाना होगा और वह परीक्षण की किसी भी लागत को रोगी पर या उनके बीमाकर्ताओं पर नहीं डालेगा।

2350.30. अस्पतालों को किसी भी सत्यापित पोजिटिव जाँच परिणाम के बारे में, या किसी चिकित्सक द्वारा जानबूझकर जाँच न करवाने या उससे इनकार करने की रिपोर्ट बोर्ड को करना होगी, जो कि निम्न में से सभी कार्य करेगा:

(a) अनुच्छेद 12 (धारा 2220 के साथ शुरू) के अनुरूप इस मामले की जाँच और प्रवर्तन के लिए इसे अटॉर्नी जनरल के स्वास्थ्य गुणवत्ता प्रवर्तन खंड को भेजेगा।

(b) अनुच्छेद 12 (धारा 2220 के साथ शुरू) के अनुरूप बोर्ड की जाँच और मामले पर सुनवाई के लंबित होने तक चिकित्सक के लायसेंस को अस्थायी रूप से निरस्त करेगा।

(c) चिकित्सक को और उसकी सेवाएँ प्राप्त करने वाले प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान को बोर्ड की जाँच और इस मामले पर सुनवाई लंबित होने तक चिकित्सक के लायसेंस के अस्थायी रूप से निरस्त होने की सूचना देगा।

2350.35. (a) यदि जाँच और सुनवाई के बाद, बोर्ड को यह पता चलता है कि झूठी के दौरान या किसी प्रतिकूल स्थिति के समय कोई चिकित्सक नशीली दवा या शराब के प्रभाव में था, अथवा चिकित्सक ने नशीली दवा और शराब की जाँचों से जानबूझकर बचना चाहा या उससे इनकार

किया है, तो बोर्ड चिकित्सक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा, जिसमें लायसेंसकृत रहने हेतु लत से छुटकारा पाने का उपचार, परीक्षा की अवधि के दौरान नशीली दवा और शराब की अतिरिक्त जाँचें, और चिकित्सक के झूठी पर वापस लौटने के लिए बोर्ड की अपेक्षाओं के अनुरूप प्रदर्शन करने के समय तक चिकित्सक के लायसेंस का निलंबन आदि शामिल है।

(b) यदि बोर्ड को जानकारी मिलती है कि किसी प्रतिकूल स्थिति में कोई चिकित्सक नशीली दवाओं या शराब के प्रभाव में था, तो बोर्ड रोगी को अथवा, रोगी की मृत्यु की स्थिति में, रोगी के परिवार को इससे संबंधित सूचना देगा।

2350.40. बोर्ड को चिकित्सकों के लिए एक वार्षिक शुल्क का अनुमान लगाना होगा जो कि बोर्ड और अटॉर्नी जनरल द्वारा इस अनुच्छेद को प्रबंधित करने की उचित लागत चुकाने के लिए पर्याप्त हो। प्रत्येक चिकित्सक हेतु लायसेंस प्राप्त करने या उसके नवीनीकरण के लिए इस शुल्क को चुकाना अनिवार्य होगा। बोर्ड को इस अनुच्छेद के तहत होने वाली जाँचों और प्रवर्तन कार्रवाइयों के आयोजन में लगने वाली लागत के लिए अटॉर्नी जनरल के कार्यालय को प्रतिपूर्ति देना होगा।

धारा 5. नागरिक संहिता की धारा 3333.2 में संशोधन हुए हैं जिसे इस प्रकार पढा जाये: 3333.2. (a) पेशेवर लापरवाही के आधार पर किसी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के विरुद्ध क्षति की किसी भी कार्रवाई में, क्षतिग्रस्त अभियोगी दर्द, पीड़ा, असुविधा, शारीरिक बाधा, विरूपण और अन्य गैर-आर्थिक क्षति के लिए पूर्ति और गैरआर्थिक हानियों के लिए पूर्ति पाने का पात्र होगा।

(b) किसी भी स्थिति में गैरआर्थिक हानियों से होने वाले नुकसान की राशि दो सौ पचास हजार डॉलर्स (\$250,000) से अधिक नहीं हो सकती है, जैसा कि उपखंड (c) में निर्दिष्ट है।

(c) 1 जनवरी, 2015 को, उपखंड (b) में हानियों की राशि के लिए निर्दिष्ट अधिकतम राशि में उसे स्थापित किए जाने के बाद से *United States* के श्रमिक आँकड़ों के ब्यूरो द्वारा प्रकाशित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई मंहगाई में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए वृद्धि की जाएगी। इसके बाद वार्षिक रूप से, इस उपखंड में निर्दिष्ट हानियों की राशि की अधिकतम सीमा को *United States* के श्रमिक आँकड़ों के ब्यूरो द्वारा प्रकाशित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई मंहगाई में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए समायोजित किया जाएगा। वित्त विभाग अपनी इंटरनेट वेबसाइट पर इस उपखंड के लिए आवश्यक समायोजनों की गणना करेगा और उन्हें प्रकाशित करेगा।

(d) इस धारा के उद्देश्य हेतु:

(1) "स्वास्थ्य सेवा प्रदाता" का अर्थ किसी भी ऐसे व्यक्ति से है जो व्यवसाय और पेशा संहिता के खंड 2 (धारा 500 के साथ शुरू करते हुए) के अनुरूप लायसेंसकृत या प्रमाणित हो, या जो ऑस्टियोपैथिक इनिशिएटिव एक्ट, या काइरोप्रेक्टिक इनिशिएटिव एक्ट के अनुरूप लायसेंसकृत हो, अथवा जो स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के खंड 2 के अध्याय 2.5 (धारा 1440 के साथ शुरू करते हुए) के अनुरूप लायसेंसकृत हो; तथा किसी भी ऐसे क्लिनिक, स्वास्थ्य दवाखाने, या स्वास्थ्य संस्थान से है जो स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के खंड 2 (धारा 1200 के साथ शुरू करते हुए) के अनुरूप लायसेंसकृत हो। "स्वास्थ्य सेवा प्रदाता" में किसी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के कानूनी प्रतिनिधि शामिल होते हैं;

(2) "पेशेवर लापरवाही" का अर्थ किसी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता द्वारा अपनी पेशेवर सेवाओं में किसी लापरवाही भरी कार्रवाई या कार्रवाई को नहीं करने से होता है। यह कार्रवाई या कार्रवाई में कटौती ऐसी होती है जो किसी आसन्न कारण से होने वाली व्यक्तिगत क्षति या मृत्यु का कारण होती है, बशर्ते इस प्रकार की सेवाएँ उस दायरे में शामिल हों जिसके लिए प्रदाता के पास लायसेंस है और वे सेवाएँ जो लायसेंसिंग एजेंसी या लायसेंसकृत अस्पताल द्वारा लगाए गए किसी भी प्रतिबंध के तहत न हों।

(e) उपखंड (c) में प्रदत्त समायोजित अधिकतम राशि किसी ऐसी कार्रवाई में हुई गैरआर्थिक हानियों पर लागू होगी जिसे 1 जनवरी, 2015 तक किसी अंतिम निपटारे, निर्णय, या समझौते के द्वारा हल नहीं किया जा सका है।

(f) व्यवसाय और पेशा संहिता की धारा 6146 में निर्दिष्ट अटॉर्नी की फीस की सीमा, किसी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के विरुद्ध ऐसे व्यक्ति की कथित पेशेवर लापरवाही के आधार पर क्षति या हानि के किसी मामले पर लागू होगी, जिसे कि इस धारा में परिभाषित किया गया है।

धारा 6. धारा 1714.85 नागरिक संहिता में जोड़ी गई है, जिसे इस प्रकार पढा जाये:

1714.85. नशीली दवाओं या शराब के प्रभाव में जाँच में पोजिटिव पाए गए किसी चिकित्सक और सर्जन द्वारा की गई किसी कार्रवाई या कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण अथवा उसके द्वारा कार्रवाई किए जाने या कार्रवाई को नहीं करने के बाद में व्यवसाय और पेशा संहिता

के खंड 2 के अध्याय 5 के अनुच्छेद 14 (धारा 2350.10 के साथ शुरू करते हुए) की परीक्षण आवश्यकताओं से इनकार करने या उसका अनुपालन करने में विफल रहने वाले किसी स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के विरुद्ध होने वाली किसी भी कार्यवाही में तथा किसी भी लायसेंसकृत स्वास्थ्य सेवा पेशेवर द्वारा स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता की धारा 11165.4 का अनुपालन नहीं कर पाने की स्थिति में होने वाली कार्यवाही में पेशेवर लापरवाही की संभावना मानी जाएगी।

धारा 7. धारा 11165.4 स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता में जोड़ी गई है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाये:

11165.4. (a) लायसेंसकृत स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और फार्मासिस्ट्स को उनकी देखरेख के तहत आने वाले किसी रोगी को पहली बार कोई शेड्यूल II या शेड्यूल III नियंत्रित पदार्थ लिखने या प्रदान करने के पहले, इस संहिता के अनुरूप बनाए गए एक इलेक्ट्रॉनिक इतिहास में उन रोगियों को पहले दिए गए नियंत्रित पदार्थों के इतिहास को देखना होगा और उस पर विचार करना होगा। यदि कोई रोगी पहले से ही शेड्यूल II या शेड्यूल III नियंत्रित पदार्थ ले रहा है, तो स्वास्थ्य सेवा पेशेवर को कोई भी अतिरिक्त नियंत्रित पदार्थ नहीं लिखकर देना चाहिए, जब तक कि उसकी वाकई कोई उचित आवश्यकता न हो।

(b) उपखंड (a) की आवश्यकता के अनुसार किसी रोगी के इलेक्ट्रॉनिक इतिहास पर विचार नहीं करने की स्थिति में स्वास्थ्य सेवा पेशेवर के लायसेंसिंग बोर्ड द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। नियंत्रित पदार्थों के लिए दवाएँ लिखने या देने के लिए अधिकृत स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों के लायसेंसिंग बोर्ड्स को सभी अधिकृत पेशेवरों को बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी अधिकृत पेशेवरों को इस धारा की आवश्यकताओं के बारे में सूचित करना होगा।

धारा 8. संशोधन।  
इस अधिनियम को रोगी सुरक्षा को बेहतर करने के इसके उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए ही संशोधित किया जा सकता है, जिसमें यह सुनिश्चित करना शामिल है कि लापरवाह चिकित्सकों के कारण क्षति झेलने वाले रोगियों, उनके परिवारों और अन्य लोगों को विधानसभा के प्रत्येक सदन द्वारा दो-तिहाई मतों से स्वीकृत और गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित एक कानून के अनुसार, उनकी क्षति के लिए प्रतिपूर्ति दी जाए।

धारा 9. परस्पर-विरोधी पहल।  
ऐसी स्थिति में जहाँ यह विधेयक और रोगी सुरक्षा से जुड़ी अन्य पहल वाला या वाले विधेयक, जिनमें चिकित्सा लापरवाही के मामलों में अर्दों द्वारा लिया जाने वाला शुल्क शामिल है, उसी राज्यव्यापी चुनाव मतपत्र पर प्रकट होंगे, तब अन्य विधेयक या विधेयकों के प्रावधानों को इस विधेयक के विरोध में माना जाएगा। यदि इस विधेयक को अधिकांश संख्या में सकारात्मक मत मिलेंगे, तो इस विधेयक के प्रावधान अपनी संपूर्णता में प्रचलित रहेंगे, और दूसरे विधेयक के प्रावधान रद्द और अमान्य हो जाएंगे।

धारा 10. पृथक्करणियता।  
यदि इस अधिनियम का कोई भी प्रावधान, या उसका अंश, किसी भी कारण से अमान्य या असंवैधानिक पाया जाता है, तो शेष प्रावधान प्रभावित नहीं होंगे, किंतु पूर्ण रूप और प्रभाव में लागू रहेंगे, और इस उद्देश्य के लिए इस अधिनियम के प्रावधान पृथक्करणीय हैं।

## प्रस्ताव 47

यह पहल सम्बंधी विधेयक California संविधान के अनुच्छेद II की धारा 8 के प्रावधानों के अनुपालन में लोगों को पेश किया जाता है।

यह पहल सम्बंधी विधेयक सरकारी संहिता में धारा जोड़ता है, दंड संहिता में धारा जोड़ता और संशोधित करता है, तथा स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता के अनुभागों को संशोधित करता है, इसलिए, हटाए जाने के लिए प्रस्तावित मौजूदा प्रावधान में मुद्रित हैं और जोड़े जाने वाले नए प्रावधान तिरछे टाइप में मुद्रित हैं जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि वे नए हैं।

## प्रस्तावित कानून

### सुरक्षित इलाके और स्कूल अधिनियम

धारा 1. शीर्षक।  
इस अधिनियम को "सुरक्षित इलाके एवं स्कूल अधिनियम" के नाम से जाना जाएगा।  
धारा 2. निष्कर्ष और घोषणाएं।  
California राज्य के लोग निम्न निष्कर्ष देते हैं और घोषणा करते हैं:  
लोग सुरक्षित इलाके एवं स्कूल अधिनियम को यह सुनिश्चित करने हेतु लागू करते हैं कि कारावास का समय हिंसात्मक और गंभीर अपराधों पर केंद्रित हो, कम गंभीर, अहिंसात्मक अपराधों के

विकल्पों को बढ़ाया जाए, और इस अधिनियम से प्राप्त बचत को K-12 स्कूलों में बचाव और सहायता कार्यक्रमों, पीड़ितों की सेवाओं, और मानसिक स्वास्थ्य और नशीली दवाओं के उपचार में निवेश किया जाए। यह अधिनियम सुनिश्चित करता है कि बलात्कार, हत्या, और बाल यौन उत्पीड़न जैसे खतरनाक अपराधों के दोषी लोगों की सजा को बदला नहीं जाए।

धारा 3. उद्देश्य और मंशा।

इस अधिनियम को लागू करने में, California राज्य के लोगों का उद्देश्य और मंशा यह है कि:  
(1) यह सुनिश्चित किया जाए कि हत्या, बलात्कार, और बाल यौन उत्पीड़न के दोषी लोगों को इस अधिनियम से लाभ न पहुँच पाए।

(2) सुरक्षित इलाके एवं स्कूल निधि का निर्माण किया जाए, जिसमें 25 प्रतिशत निधि को K-12 स्कूलों में अपराध रोकथाम और सहायता कार्यक्रमों के लिए राज्य शिक्षा विभाग को प्रदान किया जाए, 10 प्रतिशत निधि अपराध पीड़ितों हेतु सदमे से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने की सेवाओं के लिए दी जाए, और निधि की 65 प्रतिशत राशि को न्याय व्यवस्था में लोगों द्वारा फिर से अपराध की ओर जाने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए मानसिक स्वास्थ्य और पदार्थ दुरुपयोग उपचार कार्यक्रमों के लिए प्रदान किया जाए।

(3) छोटी-मोटी चोरियों और नशीली दवाओं को रखने जैसे कम गंभीर, अहिंसात्मक अपराधों को बड़े अपराध के बजाय दुष्कर्म यानि छोटे अपराध माना जाए, जब तक कि प्रतिवादिओं पर निर्दिष्ट हिंसात्मक या गंभीर अपराधों की श्रेणी का कोई पूर्व अपराध न हो।

(4) यहाँ पर दुष्कर्म यानि छोटे अपराधों के रूप में सूचीबद्ध अपराधों में से किसी भी अपराध के लिए वर्तमान में दंड भुगतने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए दंड पर पुनर्विचार करने को अधिकृत बनाया जाए।

(5) किसी भी व्यक्ति के दंड पर पुनर्विचार करने के पूर्व उसके आपराधिक इतिहास और जोखिम मूल्यांकन की संपूर्ण समीक्षा को आवश्यक बनाया जाए जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि उनसे सार्वजनिक लोगों की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं है।

(6) यह विधेयक वार्षिक रूप से सुधारात्मक कार्यों पर होने वाले राज्य के खर्च में कई डॉलर्स की महत्वपूर्ण बचत करेगा। आरंभिक अनुमानों के अनुसार यह राशि \$150 मिलियन से \$250 मिलियन प्रति वर्ष के बीच हो सकती है। यह विधेयक ऐसे कार्यक्रमों में निवेश को बढ़ावा देगा जो अपराधों को कम करते हैं और सार्वजनिक सुरक्षा को बेहतर बनाते हैं, जैसे कि K-12 स्कूलों में बचाव कार्यक्रम, पीड़ितों की सेवाएँ, और मानसिक स्वास्थ्य और नशीली दवाओं का उपचार, जिससे सुधार कार्यों में भावी खर्चों में कमी आएगी।

धारा 4. अध्याय 33 (धारा 7599 के साथ शुरू करते हुए) को सरकारी संहिता के शीर्षक 1 के खंड 7 में जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाये:

### अध्याय 33. सुरक्षित इलाके एवं स्कूल कोष का निर्माण

7599. (a) "सुरक्षित इलाके एवं स्कूल कोष" के नाम से जाने वाले कोष का निर्माण एतद्वारा राज्य कोषागार के भीतर किया गया है और, तिस पर भी सरकारी संहिता की धारा 13340 के संदर्भ के बिना इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए वित्तीय वर्ष को ध्यान में लिए बिना इसे निरंतर विनियोजित किया जाता है।

(b) California संविधान के अनुच्छेद XVI की धारा 8 द्वारा आवश्यक गणनाओं के उद्देश्य से, सुरक्षित इलाके एवं स्कूल कोष में स्थानांतरित निधियों को सामान्य निधि राजस्व माना जाएगा जिसे अनुच्छेद XIII B के अनुसार विनियोजित किया जा सकता है।

### 7599.1. निधिकरण विनियोजन।

(a) 31 जुलाई 2016 को या उससे पहले, और उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 जुलाई को या उससे पहले, वित्त निदेशक इस अधिनियम के अधिनियमन से पहले वित्तीय वर्ष की तुलना में 30 जून को खत्म होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान इस अध्याय ("इस अधिनियम") को जोड़कर अधिनियम के क्रियान्वयन से राज्य द्वारा उपार्जित बचत राशि की गणना करेगा। इस उपखंड की आवश्यकतानुसार गणना करते समय, वित्त निदेशक वास्तविक डेटा का उपयोग करेगा या वास्तविक डेटा उपलब्ध न होने पर सर्वोत्तम उपलब्ध अनुमानों का उपयोग करेगा। गणना अंतिम होगी और अन्तर्निहित डेटा में किसी परवर्ती परिवर्तन के लिए समायोजित नहीं की जाएगी। वित्त निदेशक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अगस्त तक कंट्रोलर यानि नियंत्रक के समक्ष गणना के परिणामों को प्रमाणित करेगा।

(b) 15 अगस्त 2016 से पहले, और उसके बाद से प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 15 अगस्त से पहले, कंट्रोलर यानि नियंत्रक उपखंड (a) के अनुसार परिगणित कुल राशि को सामान्य निधि से सुरक्षित इलाके एवं स्कूल कोष में स्थानांतरित करेगा।

(c) सुरक्षित इलाके एवं स्कूल कोष में जमा धनराशियों को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए निरंतर विनियोजित किया जाएगा। सुरक्षित इलाके एवं स्कूल कोष में स्थानांतरित निधियों का उपयोग विशेष रूप से इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किया जाएगा और किसी अन्य प्रयोजन के लिए विधानमंडल द्वारा स्थानांतरण या विनियोजन के अधीन नहीं होगा। सुरक्षित इलाके एवं स्कूल कोष में जमा निधियों का उपयोग वित्तीय वर्ष के सम्बन्ध के बिना किया जा सकता है।

7599.2. सुरक्षित इलाके एवं स्कूल कोष से पैसों का वितरण।

(a) 2016 में शुरू करते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 15 अगस्त को, कंट्रोलर यानि नियंत्रक सुरक्षित इलाके एवं स्कूल कोष में जमा पैसों को निम्नानुसार संवितरित करेगा:

(1) स्कूल छोड़ने की कगार पर आ चुके या अपराध के शिकार छात्रों को सहारा देकर और कामचोरी को कम करके बाल विहार और 1 से 12वीं कक्षाओं में पब्लिक स्कूल के छात्रों के लिए परिणामों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से पब्लिक एजेंसियों को एक अनुदान कार्यक्रम प्रदान करने के लिए राज्य शिक्षा विभाग को पच्चीस प्रतिशत।

(2) सरकारी संहिता की धारा 13963.1 के अनुसार अपराध के शिकार लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए ट्रॉमा रिकवरी सेंटरों को अनुदान देने के लिए California पीडित मुआवजा एवं सरकारी दावा बोर्ड को दस प्रतिशत।

(3) कम गंभीर अपराधों के दोषी लोगों, जैसे इस विधेयक में शामिल लोग, और मादक द्रव्यों का सेवन करने वाले और मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं से पीड़ित लोगों को फिर से अपराध कर्म में शामिल होने की घटना को कम करने वाले कार्यक्रमों पर जोर देकर मानसिक स्वास्थ्य उपचार, मादक द्रव्य सेवन उपचार, और अपराधिक न्याय व्यवस्था में लोगों के लिए विपथन कार्यक्रमों को सहारा देने के उद्देश्य से पब्लिक एजेंसियों के लिए एक अनुदान कार्यक्रम को नियंत्रित करने के लिए राज्य एवं समुदाय सुधार बोर्ड को पैंसठ प्रतिशत।

(b) उपखंड (a) को शामिल करते हुए, पैराग्राफ (1) से (3) तक उल्लिखित प्रत्येक कार्यक्रम के लिए, कार्यक्रमों के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार एजेंसी प्रशासनिक लागत के लिए वार्षिक आधार पर सुरक्षित इलाके एवं स्कूल फंड से प्राप्त होने वाली कुल धनराशियों की 5 प्रतिशत से अधिक धनराशि खर्च नहीं करेगी।

(c) हर दो साल पर, नियंत्रक उपखंड (a) को शामिल करते हुए, पैराग्राफ (1) से (3) में उल्लिखित एजेंसियों द्वारा संचालित अनुदान कार्यक्रमों का लेखापरीक्षण करेगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि निधियों का संवितरण और व्यय सम्पूर्ण रूप से इस अध्याय के अनुसार किया गया है और विधानमंडल और पब्लिक को अपने निष्कर्षों की रिपोर्ट देगा।

(d) वित्त निदेशक द्वारा निर्धारित किए गए, उपखंड (c) की आवश्यकतानुसार लेखापरीक्षण और धारा 7599.1 की आवश्यकतानुसार गणना की लागत सहित, सुरक्षित इलाके एवं स्कूल कोष के नियंत्रण के सम्बन्ध में नियंत्रक और वित्त निदेशक द्वारा किए गए किसी भी खर्च को उपखंड (a) के अनुसार निधियों के संवितरण से पहले सुरक्षित इलाके एवं स्कूल कोष से कम कर लिया जाएगा।

(e) इस अधिनियम के अनुसार स्थापित निधिकरण का उपयोग अपराध के शिकार, मानसिक स्वास्थ्य एवं मादक द्रव्य सेवन उपचार और अपराधिक न्याय व्यवस्था में लोगों के लिए विपथन कार्यक्रमों समेत, बाल विहार और कक्षा 1 से 12 में पब्लिक स्कूल के छात्रों के लिए कार्यक्रमों का विस्तार करने के लिए किया जाएगा। इन निधियों का उपयोग इन प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने वाले मौजूदा राज्य एवं स्थानीय निधियों की कमी को पूरा करने के लिए नहीं किया जाएगा।

(f) स्थानीय एजेंसियों को उस स्तर से ऊपर इस अध्याय में वर्णित सेवा के स्तरों या कार्यक्रमों को प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिसके लिए निधिकरण की व्यवस्था की गई है।

धारा 5. दंड संहिता में धारा 459.5 को जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाये:

459.5. (a) धारा 459 के होते हुए भी, उठाईगिरी को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है - चोरी करने के इरादे से वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में प्रवेश करना जब प्रतिष्ठान नियमित व्यावसायिक घंटों के दौरान खुला रहता है, जहाँ उठाई गई संपत्ति या उठाने के इरादे वाली संपत्ति का मूल्य नौ सौ पचास डॉलर (\$950) से अधिक नहीं है। कुछ चुराने के इरादे से किसी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान में कोई अन्य प्रवेश चोरी कहलाता है। उठाईगिरी को एक दुष्कर्म के रूप में दण्डित किया जाएगा, सिवाय धारा 667 के उपखंड (e) के पैराग्राफ (2) के उप पैराग्राफ (C) के वाक्यांश (iv) में उल्लिखित अपराध के लिए या धारा 290 के उपखंड (c) के अनुसार पंजीकरण की आवश्यकता वाले अपराध के लिए एक या एक से अधिक पूर्व अपराध वाले व्यक्ति को धारा 1170 के उपखंड (h) के अनुसार दण्डित किया जा सकता है।

(b) उपखंड (a) में परिभाषित किए गए अनुसार उठाईगिरी के किसी भी कृत्य को उठाईगिरी के रूप में देखा जाएगा। उठाईगिरी के आरोप वाले किसी भी व्यक्ति पर उसी संपत्ति को चुराने का आरोप भी नहीं लगाया जा सकता है।

धारा 6. दंड संहिता की धारा 473 को संशोधित किया गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाये: 473. (a) जालसाजी के लिए एक काउंटी जेल में कैद की सजा हो सकती है जो एक साल से ज्यादा नहीं होगी, या धारा 1170 के उपखंड (h) के अनुसार कैद की सजा हो सकती है।

(b) उपखंड (a) के होते हुए भी, जहाँ चेक, बॉण्ड, बैंक बिल, नोट, कैशियर्स चेक, ट्रैवलर्स चेक, या मनीऑर्डर का मूल्य नौ सौ पचास डॉलर (\$950) से अधिक नहीं है, वहाँ चेक, बॉण्ड, बैंक बिल, नोट, कैशियर्स चेक, ट्रैवलर्स चेक, या मनीऑर्डर के सम्बन्ध में जालसाजी के दोषी व्यक्ति को एक काउंटी जेल में कैद की सजा होगी जो एक साल से ज्यादा नहीं होगी, सिवाय इसके कि ऐसे व्यक्ति को इसके बजाय धारा 1170 के उपखंड (h) के अनुसार दण्डित किया जा सकता है यदि वह व्यक्ति धारा 667 के उपखंड (e) के पैराग्राफ (2) के सबपैराग्राफ (C) के वाक्यांश (iv) में उल्लिखित अपराध के लिए या धारा 290 के उपखंड (c) के अनुसार पंजीकरण की आवश्यकता वाले अपराध के लिए, पहले एक या एक से अधिक अपराध सिद्ध हो गए हों। यह उपखंड ऐसे किसी भी व्यक्ति पर लागू नहीं होगा जो जालसाजी और पहचान की चोरी दोनों का अपराधी सिद्ध हो गया है, जैसा कि धारा 530.5 में बताया गया है।

धारा 7. दंड संहिता की धारा 476a को संशोधित किया गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाये: 476a. (a) जो व्यक्ति खुद, किसी दूसरे के प्रतिनिधि या एजेंट के रूप में, या एक कॉर्पोरेशन के एक ऑफिसर के रूप में, जानबूझकर, धोखाधड़ी के इरादे से, एक बैंक या डिपोजिटरी, एक व्यक्ति, एक फर्म, या एक कॉर्पोरेशन को पैसे के भुगतान के लिए एक चेक, ड्राफ्ट, या ऑर्डर, लिखते, देते, कहते, या डिलीवर करते समय यह जानते हुए चेक, ड्राफ्ट, या ऑर्डर लिखता, देता या कहता या डिलीवर करता है कि लिखते या देने वाले या कॉर्पोरेशन के पास पर्याप्त धनराशि नहीं है, या उस चेक, ड्राफ्ट, या ऑर्डर और अन्य सभी चेकों, ड्राफ्टों, या ऑर्डरों के भुगतान के लिए बैंक या डिपोजिटरी, व्यक्ति, फर्म, या कॉर्पोरेशन के पास तत्कालीन बकाया धनराशि उसकी सम्पूर्ण प्रस्तुति पर जमा करता है, यद्यपि उसके सन्दर्भ में कोई प्रकट प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है तो उस व्यक्ति को एक काउंटी जेल में कैद की सजा हो सकती है जो एक साल से अधिक समय के लिए नहीं होगी, या धारा 1170 के उपखंड (h) के अनुसार सजा हो सकती है।

(b) हालाँकि, यदि सभी चेकों, ड्राफ्टों, या ऑर्डरों की कुल राशि, जिसके लिए प्रतिवादी आरोपित किया जाता है और लिखने, देने, या कहने का अपराधी सिद्ध हो जाता है, चार-सौ-पचास डॉलर (\$450) नौ सौ पचास डॉलर (\$950) से अधिक नहीं होती है तो इस अपराध के लिए काउंटी जेल में सिर्फ कैद की सजा हो सकती है जो एक साल से ज्यादा नहीं हो सकती है, सिवाय इसके कि ऐसे व्यक्ति को इसके बजाय धारा 1170 के उपखंड (h) के अनुसार दण्डित किया जा सकता है यदि उस व्यक्ति के खिलाफ धारा 667 के उपखंड (e) के पैराग्राफ (2) के सबपैराग्राफ (C) के वाक्यांश (iv) में उल्लिखित अपराध के लिए या धारा 290 के उपखंड (c) के अनुसार पंजीकरण की आवश्यकता वाले अपराध के लिए पहले एक या एक से अधिक अपराध सिद्ध हो गए हैं। यह उपखंड लागू नहीं होगा यदि प्रतिवादी के खिलाफ पहले धारा 470, 475, या 476 के, या इस धारा के, या एक ऐसे मामले में छोटी सी चोरी के अपराध के एक से अधिक उल्लंघन-उल्लंघनों का अपराध सिद्ध हो गया है जिसमें प्रतिवादी का अपराध धारा 470, 475, या 476 का, या इस धारा का भी एक उल्लंघन है या यदि प्रतिवादी के खिलाफ पहले किसी अन्य राज्य के या संयुक्त राज्य अमेरिका के कानून के तहत किसी अपराध का अपराधी सिद्ध हो गया है जो, यदि इस राज्य में किया गया तो, धारा 470, 475, या 476 के, या इस धारा के एक उल्लंघन के रूप में दंडनीय होगा या यदि वह एक ऐसे मामले में छोटी सी चोरी के अपराध का अपराधी सिद्ध हो गया है जिसमें, यदि प्रतिवादी का अपराध इस राज्य में किया गया था तो, यह धारा 470, 475, या 476 का, या इस धारा का भी एक उल्लंघन होगा।

(c) जहाँ धनराशि या क्रेडिट की अपर्याप्तता के आधार पर चेक, ड्राफ्ट, या ऑर्डर का विरोध यानि प्रोटेस्ट किया जाता है वहाँ प्रोटेस्ट के नोटिस की प्रस्तुति, गैरअदायगी, और प्रोटेस्ट के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य होगी और बैंक या डिपोजिटरी, व्यक्ति, फर्म, या कॉर्पोरेशन के पास फंड या क्रेडिट की अपर्याप्तता की जानकारी का संभावित सबूत होगा।

(d) दो या दो से अधिक चेक, ड्राफ्ट, या ऑर्डर वाले इस धारा के अंतर्गत किसी अभियोजन में, इसमें प्रथम दृष्टि में किसी चेक, ड्राफ्ट, या ऑर्डर के चेककर्ता की पहचान का सबूत शामिल होगा यदि निम्नलिखित में से दोनों होते हैं:

(1) जब भुगतान प्राप्तकर्ता चेककर्ता से चेक, ड्राफ्ट, या ऑर्डर स्वीकार करता है तो वह चेककर्ता से निम्नलिखित जानकारी प्राप्त करता/करती है: चेककर्ता का नाम और निवास, व्यवसाय या डाक पता, या तो एक मान्य ड्राइवर्स लाइसेंस नंबर या मोटर वाहन विभाग पहचान कार्ड नंबर, और चेककर्ता के घर या कार्यालय का फोन नंबर या नौकरी की जगह। यह जानकारी खुद चेक, ड्राफ्ट, या ऑर्डर में रिकॉर्ड हो सकती है या भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा फ्राइल में बनाए रखी जा सकती



है और पहचान संख्या या इसी तरह के अन्य माध्यमों के द्वारा चेक, ड्राफ्ट, या ऑर्डर में संदर्भित की जा सकती है।

(2) चेक, ड्राफ्ट, या ऑर्डर प्राप्त करने वाला व्यक्ति चेककर्ता के हस्ताक्षर या पृष्ठांकन का साक्षी है, और, उसके साक्ष्य के रूप में, प्राप्ति के समय चेक, ड्राफ्ट, या ऑर्डर पर अद्याक्षर करता है।

(c) यहाँ उपयोग किए गए शब्द "क्रेडिट" का मतलब एक चेक, ड्राफ्ट, या ऑर्डर के भुगतान के लिए बैंक या डिपोजिटरी, व्यक्ति, फर्म, या कॉर्पोरेशन के साथ एक व्यवस्था या समझौता निकाला जाएगा।

(f) यदि किसी भी पूर्ववर्ती पैराग्राफ या उसका कोई हिस्सा असंवैधानिक या अमान्य पाया जाएगा तो इस धारा का शेष अंश अमान्यकृत नहीं किया जाएगा, बल्कि वह सम्पूर्ण रूप से उपयोगी और प्रभावी रहेगा।

(g) एक शेरिफ का विभाग, पुलिस विभाग, या अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसी धारा 476 या इस धारा के कथित उल्लंघन की छानबीन के लिए उनकी एजेंसी को संदर्भित किए गए चेकों की छानबीन, संग्रहण और प्रोसेसिंग के लिए प्रतिवादी से एक फीस संग्रह कर सकता है।

(h) प्रत्येक खोटे चेक के लिए फीस की रकम कथित अपराध के परिणामस्वरूप पीड़ित द्वारा दिए गए किसी भी बैंक शुल्क की रकम के अलावा पच्चीस डॉलर (\$25) से अधिक नहीं होगा। यदि शेरिफ का विभाग, पुलिस विभाग, या अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसी इस धारा के अनुसार पीड़ित द्वारा दिए गए बैंक शुल्कों के लिए फीस संग्रह करती है तो किसी बैंक फीस के लिए पीड़ित को उस फीस का भुगतान किया जाएगा जिसके लिए पीड़ित का आंकलन किया जा सकता है। किसी भी परिस्थिति में इस धारा के अनुसार पीड़ित को बैंक शुल्क की प्रतिपूर्ति दस डॉलर (\$10) प्रति चेक से अधिक नहीं होगी।

धारा 8. दंड संहिता में धारा 490.2 को जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाये:

490.2. (a) धारा 487 या किसी बड़ी चोरी को परिभाषित करने वाले कानून के किसी अन्य प्रावधान के होते हुए भी, चोरी से कोई संपत्ति प्राप्त करना, जहाँ लिए गए पैसे, मजदूरी, वास्तविक या व्यक्तिगत संपत्ति का मूल्य नौ सौ पचास डॉलर (\$950) से अधिक नहीं है, छोटी-मोटी चोरी मानी जाएगी और दुष्कर्म के रूप में दण्डित किया जाएगा, सिवाय इसके कि ऐसे व्यक्ति को इसके बजाय धारा 1170 के उपखंड (b) के अनुसार दण्डित किया जा सकता है यदि वह व्यक्ति धारा 667 के उपखंड (e) के पैराग्राफ (2) के सबपैराग्राफ (C) के वाक्यांश (iv) में उल्लिखित अपराध के लिए या धारा 290 के उपखंड (c) के अनुसार पंजीकरण की आवश्यकता वाले अपराध के लिए पहले एक या एक से अधिक अपराध सिद्ध हो गए हों।

(b) यह धारा किसी चोरी पर लागू नहीं होगी जिसे कानून के किसी अन्य प्रावधान के अनुसार एक अतिक्रमण के रूप में देखा जा सकता है।

धारा 9. दंड संहिता में धारा 496 को जोड़ा गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाये:

496. (a) जानबूझकर चोरी की संपत्ति या चोरी या जबरदस्ती हासिल की गई संपत्ति को खरीदने या प्राप्त करने वाले व्यक्ति को, या मालिक से जानबूझकर किसी संपत्ति को छिपाने, बेचने, अपने पास रखने, या छिपाने, बेचने, या रखने में मदद करने वाले व्यक्ति को एक काउंटी जेल में कैद की सजा होगी जो एक साल से अधिक समय के लिए नहीं होगी, या धारा 1170 के उपखंड (h) के अनुसार कैद की सजा होगी। हालाँकि, यदि डिस्ट्रिक्ट अदालत या जैज-जुरी यह तय करता है कि यह कार्य न्याय के हित में होगा, तो डिस्ट्रिक्ट अदालत या जैज-जुरी, चाहे जो हो, यदि संपत्ति का मूल्य नौ सौ पचास डॉलर (\$950) से अधिक नहीं है तो, अभियोगात्मक सिफारिश में यह स्पष्ट कर सकता है कि अपराध एक दुष्कर्म होगा, सिर्फ एक काउंटी जेल में कैद की सजा होगी जो एक साल से अधिक नहीं होगी, यदि ऐसे व्यक्ति के खिलाफ धारा 667 के उपखंड (e) के पैराग्राफ (2) के सबपैराग्राफ (C) के वाक्यांश (iv) में उल्लिखित अपराध के लिए या धारा 290 के उपखंड (c) के अनुसार पंजीकरण की आवश्यकता वाले अपराध के लिए पहले कोई अपराध सिद्ध न हुए हों।

संपत्ति की वास्तविक चोरी में एक प्रमुख को इस एक्शन के अनुसार दोषी ठहराया जा सकता है। हालाँकि, इस धारा के अनुसार और उसी संपत्ति के चोरी दोनों के लिए किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

(b) व्यवसाय एवं पेशा संहिता की धारा 21661 में परिभाषित किए गए अनुसार, प्रत्येक स्वेप मीट वेंडर, और हर वह व्यक्ति जिसका प्रधान व्यवसाय व्यापारिक वस्तु या व्यक्तिगत संपत्ति से संबंधित सौदे करना, या संग्रह करना है, और हर वह एजेंट, कर्मचारी, या उस व्यक्ति का प्रतिनिधि,

जो नौ सौ पचास डॉलर (\$950) से अधिक मूल्य की संपत्ति को खरीदता या प्राप्त करता है जो चोरी हो गई है या जिसे चोरी या जबरन तरीके से हासिल कर लिया गया है, उन परिस्थितियों में जिसकी वजह से व्यक्ति, एजेंट, कर्मचारी, या प्रतिनिधि को यह स्पष्ट करने के लिए उचित पूछताछ करना चाहिए कि जिस व्यक्ति से संपत्ति खरीदी या प्राप्त की गई है उसे उस संपत्ति को बेचने या वितरित करने का कानूनी अधिकार था या नहीं, उचित पूछताछ के बिना उसे एक काउंटी जेल में कैद की सजा होगी जो एक साल से ज्यादा समय के लिए नहीं होगी, या धारा 1170 के उपखंड (h) के अनुसार कैद होगी।

व्यवसाय एवं पेशा संहिता की धारा 21661 में परिभाषित किए गए अनुसार, प्रत्येक स्वेप मीट वेंडर, और हर वह व्यक्ति जिसका प्रधान व्यवसाय व्यापारिक वस्तु या व्यक्तिगत संपत्ति से संबंधित सौदे करना, या संग्रह करना है, और हर वह एजेंट, कर्मचारी, या उस व्यक्ति का प्रतिनिधि, जो नौ सौ पचास डॉलर (\$950) या उससे कम मूल्य की संपत्ति को खरीदता या प्राप्त करता है जो चोरी हो गई है या जिसे चोरी या जबरन तरीके से हासिल कर लिया गया है, उन परिस्थितियों में जिसकी वजह से व्यक्ति, एजेंट, कर्मचारी, या प्रतिनिधि को यह स्पष्ट करने के लिए उचित पूछताछ करना चाहिए कि जिस व्यक्ति से संपत्ति खरीदी या प्राप्त की गई है उसे उस संपत्ति को बेचने या वितरित करने का कानूनी अधिकार था या नहीं, उचित पूछताछ किए बिना, एक दुष्कर्म का दोषी होगा।

(c) उपखंड (a) या (b) के उल्लंघन से व्यथित होने वाला व्यक्ति वादी द्वारा, वास्तविक नुकसान, यदि कोई हो, मुकदमे की लागत, और उचित अटॉर्नी फीस की रकम की तीन गुना राशि के लिए कार्रवाई कर सकता है।

(d) धारा 664 के होते हुए भी, इस धारा द्वारा निषिद्ध किसी भी कृत्य को करने के कोई भी प्रयास के लिए, एक दुष्कर्म के रूप में अभियोगात्मक सिफारिश में वर्णित अपराध को छोड़कर, एक काउंटी जेल में कैद की सजा हो सकती है जो एक साल से ज्यादा समय के लिए नहीं हो सकती है, या धारा 1170 के उपखंड (h) के अनुसार कैद हो सकती है।

धारा 10. दंड संहिता की धारा 666 को संशोधित किया गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाये:

666. (a) धारा 490 के होते हुए भी, छोटी-मोटी चोरी के तीन या उससे अधिक बार, बड़ी-चोरी के अपराधी रह चुके, धारा 368 के उपखंड (d) या (c) के अनुसार कोई अपराध, वाहन संहिता की धारा 10851 के अंतर्गत वाहन की चोरी, चोरी, कारजैकिंग, डकैती, या धारा 496 का एक उल्लंघन और किसी दंड संस्था में उसके लिए एक अवधि तक सजा या उस अपराध के लिए परिवीक्षा की एक शर्त के रूप में वहाँ कैद रह चुके, और तदन्तर छोटी-मोटी चोरी के लिए अपराधी रह चुके प्रत्येक व्यक्ति को एक काउंटी-जेल में कैद की सजा हो सकती है जो एक साल से अधिक नहीं होगी, या धारा 1170 के उपखंड (h) के अनुसार कैद हो सकती है।

(b) (a) धारा 490 के होते हुए भी, बैस्मार्फ (1) उपखंड (b) में वर्णित व्यक्ति जो छोटी मोटी चोरी के तीन या उससे अधिक बार, बड़ी चोरी के अपराधी रह चुके, धारा 368 के उपखंड (d) या (c) के अनुसार कोई अपराध, वाहन संहिता की धारा 10851 के अंतर्गत वाहन की चोरी, चोरी, कारजैकिंग, डकैती, या धारा 496 का एक उल्लंघन और किसी दंड संस्था में उसके लिए एक अवधि तक सजा या उस अपराध के लिए परिवीक्षा की एक शर्त के रूप में वहाँ कैद रह चुके, और तदन्तर छोटी मोटी चोरी के लिए अपराधी रह चुके प्रत्येक व्यक्ति को एक काउंटी जेल में कैद की सजा हो सकती है जो एक साल से अधिक नहीं होगी, या राज्य के जेल में कैद की सजा हो सकती है।

(1) (b) यह उपखंड उपखंड (a) ऐसे किसी भी व्यक्ति पर लागू होगा जिसे यौन अपराधी पंजीकरण अधिनियम के अनुसार पंजीकरण करने की जरूरत पड़ती है, या जिसने पहले हिंसक या गंभीर अपराध किया है, जैसा कि उपखंड धारा 667.5 के उपखंड (c), या उपखंड धारा 1192.7 के उपखंड (c) वाक्यांश (iv), सबपैराग्राफ (C), पैराग्राफ (2), उपखंड (e), धारा 667 में बताया गया है, या धारा 368 के उपखंड (d) या (e) के अनुसार अपराध किया हो।

(2) (c) यह उपखंड धारा, धारा 667, या धारा 1170.12 को शामिल करते हुए उपखंड (b) से (i) के अनुसार मुकदमे या दंड में बाधा नहीं डालेगा।

धारा 11. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता की धारा 11350 को संशोधित किया गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाये:

11350. (a) इस खंड में किसी अन्य प्रकार से बताए गए के अलावा, प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास (1) उपखंड (b), (c), (e), या धारा 11054 के उपखंड (f) के पैराग्राफ (1) में उल्लिखित, या धारा 11054 के उपखंड (d) के पैराग्राफ (14), (15), या (20) में उल्लिखित,

या धारा 11055 के उपखंड (b) या (c) में उल्लिखित, या धारा 11056 के उपखंड (h) में उल्लिखित कोई नियंत्रित मादक द्रव्य, या (2) अनुसूची III, IV, या V में वर्गीकृत कोई नियंत्रित मादक द्रव्य जो एक नारकोटिक ड्रग है, जो इस राज्य में चिकित्सा करने का लाइसेंस प्राप्त एक चिकित्सक, दंतचिकित्सक, पाँव चिकित्सक, या पशु चिकित्सक के लिखित नुस्खे के बिना है उसे, एक काउंटी जेल में कैद की सजा दी जाएगी जो एक साल से ज्यादा की नहीं होगी, सिवाय इसके कि ऐसे व्यक्ति को इसके बजाय दंड संहिता की धारा 1170 के उपखंड (h) के अनुसार दण्डित किया जाएगा यदि वह व्यक्ति दंड संहिता की धारा 667 के उपखंड (e) के पैराग्राफ (2) के सबपैराग्राफ (C) के वाक्यांश (iv) में उल्लिखित अपराध के लिए या दंड संहिता की धारा 290 के उपखंड (c) के अनुसार पंजीकरण की आवश्यकता वाले अपराध के लिए पहले एक या एक से अधिक बार अपराधी हो।

(b) इस खंड में किसी अन्य प्रकार से बताए गए को छोड़कर, प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास धारा 11054 के उपखंड (c) में उल्लिखित कोई नियंत्रित मादक द्रव्य है उसे एक काउंटी जेल में कैद की सजा होगी जो एक साल से ज्यादा की नहीं होगी या दंड संहिता की धारा 1170 के उपखंड (h) के अनुसार सजा होगी।

(c) (b) इस खंड में किसी अन्य प्रकार से बताए गए को छोड़कर, जब कभी एक व्यक्ति जिसके पास उपखंड (a) या (b) में उल्लिखित नियंत्रित मादक द्रव्यों में से कोई मादक द्रव्य है, न्यायाधीश उपखंड (a) या (b) के अनुसार दी जाने वाली सजा के अलावा, उस व्यक्ति के खिलाफ एक जुर्माना तय करता है जो दंड संहिता की धारा 1463.23 के अनुसार इस्तेमाल किए जाने वाले इस जुर्माने से प्राप्त होने वाली राशि के साथ सत्तर डॉलर (\$70) से अधिक नहीं होगी। तथापि, न्यायालय भुगतान करने के लिए प्रतिवादी की क्षमता पर विचार करेगा, और किसी भी प्रतिवादी को इस उपखंड के अधीन अनुमत जुर्माने का भुगतान करने में उसकी अक्षमता के कारण परिवीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा।

(d) (c) असामान्य मामलों को छोड़कर जिसमें ऐसा करना न्याय के हित में नहीं होगा, जब कभी एक न्यायालय इस धारा के अंतर्गत एक गंभीर अपराध के लिए परिवीक्षा की अनुमति देता है, तो परिवीक्षा के लिए किसी अन्य शर्त के अलावा, परिवीक्षा की निम्नलिखित शर्तों का आदेश दिया जाएगा:

(1) इस धारा के अंतर्गत किसी प्रथम अपराध के लिए, कम से कम एक हजार डॉलर (\$1,000) या सामुदायिक सेवा का जुर्माना।

(2) इस धारा के अंतर्गत दूसरे या परवर्ती अपराध के लिए, कम से कम दो हजार डॉलर (\$2,000) या सामुदायिक सेवा का जुर्माना।

(3) यदि किसी प्रतिवादी के पास पैराग्राफ (1) और (2) में उल्लिखित न्यूनतम जुर्माने का भुगतान करने का सामर्थ्य नहीं है तो जुर्माने के तौर पर सामुदायिक सेवा का आदेश दिया जाएगा।

धारा 12. स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संहिता की धारा 11357 को संशोधित किया गया है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाये:

11357. (a) कानून द्वारा दी गयी अनुमति को छोड़कर, प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास गाढ़ा भाग है, एक काउंटी जेल में कैद की सजा होगी जो एक साल से ज्यादा की नहीं होगी या जुर्माना लगाया जाएगा जो पांच सौ डॉलर (\$500) से ज्यादा का नहीं होगा, या जुर्माना और कैद दोनों हो सकती है, या दंड संहिता की धारा 1170 के उपखंड (h) के अनुसार कैद की सजा होगी सिवाय इसके कि ऐसे व्यक्ति को दंड संहिता की धारा 1170 के उपखंड (b) के अनुसार सजा हो सकती है यदि उस व्यक्ति ने दंड संहिता की धारा 667 के उपखंड (e) के पैराग्राफ (2) के सबपैराग्राफ (C) के वाक्यांश (iv) में उल्लिखित अपराध के लिए या दंड संहिता की धारा 290 के उपखंड (c) के अनुसार पंजीकरण की आवश्यकता वाले अपराध के लिए पहले एक या एक से अधिक बार अपराध किया है।

(b) कानून द्वारा दी गयी अनुमति को छोड़कर, प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास मरिवाना है जो 28.5 ग्राम से ज्यादा नहीं है, गाढ़ा भाग के अलावा, वह जुर्माने की सजा पाने का दोषी है जो एक सौ डॉलर (\$100) से अधिक नहीं होगी।

(c) कानून द्वारा दी गयी अनुमति को छोड़कर, प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास मरिवाना है जो 28.5 ग्राम से ज्यादा नहीं है, गाढ़ा भाग के अलावा, एक काउंटी जेल में कैद की सजा का हकदार होगा जो छः महीने से ज्यादा की नहीं होगी या जुर्माने की सजा का हकदार होगा जो पांच सौ डॉलर (\$500) से ज्यादा नहीं होगी, या जुर्माना और कैद दोनों का हकदार होगा।

(d) कानून द्वारा दी गयी अनुमति को छोड़कर, 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास गाढ़ा भाग के अलावा, मरिवाना है जो 28.5 ग्राम से ज्यादा नहीं है, स्कूल के खुले रहने के दौरान या स्कूल सम्बन्धी कार्यक्रम चलने के दौरान बाल विहार में या कक्षा 1 से लेकर 12 तक किसी भी कक्षा में निर्देश देने वाले किसी भी स्कूल के मैदान पर, या उसके भीतर, एक दुष्कर्म का दोषी है और जुर्माने की सजा का हकदार होगा जो पांच सौ डॉलर (\$500) से ज्यादा

नहीं होगी, या एक काउंटी जेल में कैद की सजा का हकदार होगा जो 10 दिन से ज्यादा की नहीं होगी, या जुर्माना और कैद दोनों का हकदार होगा।

(e) कानून द्वारा दी गयी अनुमति को छोड़कर, 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास गाढ़ा भाग के अलावा, मरिवाना है जो 28.5 ग्राम से ज्यादा नहीं है, स्कूल के खुले रहने के दौरान या स्कूल सम्बन्धी कार्यक्रम चलने के दौरान बाल विहार में या कक्षा 1 से लेकर 12 तक किसी भी कक्षा में निर्देश देने वाले किसी भी स्कूल के मैदान पर, या उसके भीतर, एक दुष्कर्म का दोषी है और निम्नलिखित कार्यवाही के अधीन होगा:

(1) यह पता चलने पर कि पहला अपराध किया गया है, जुर्माना दो सौ पचास डॉलर (\$250) से ज्यादा नहीं होगा।

(2) यह पता चलने पर कि दूसरा या परवर्ती अपराध किया गया है, जुर्माना पांच सौ डॉलर (\$500) से ज्यादा नहीं होगा, या किसी जुवेनाइल हॉल, रैंच, कैम्प, फोरेस्ट्री कैम्प, या सिक्वोर जुवेनाइल होम के लिए प्रतिबद्धता जो 10 दिन से ज्यादा समयावधि के लिए नहीं होगी, या दोनों।

धारा 13. स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता की धारा 11377 संशोधित की गई है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाये:

11377. (a) कानून द्वारा प्राधिकृत रूप में और अन्यथा, व्यवसाय और पेशा संहिता के खंड 2 के अध्याय 9 के उपखंड (b) या धारा 11375, या अनुच्छेद 7 में (धारा 4211 के साथ शुरू करते हुए) किए गए प्रावधान के अतिरिक्त, प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास ऐसा कोई नियंत्रित पदार्थ हो जिसे (1) शेड्यूल III, IV, या V में वर्गीकृत किया गया है, और जो (2) धारा 11054 के उपखंड (d) में निर्दिष्ट, सिवाय पैराग्राफ (13), (14), (15), और उपखंड (d) के (20) में, (3) धारा 11056 के उपखंड (c) के पैराग्राफ (11) में निर्दिष्ट, (4) धारा 11054 के उपखंड (f) के पैराग्राफ (2) या (3) में निर्दिष्ट, अथवा (5) धारा 11055 के उपखंड (d), (e), या (f) में निर्दिष्ट नशीली दवा न हो, बशर्ते कि वह इस राज्य में व्यवसाय चलाने के लिए लाइसेंस प्राप्त चिकित्सक, दंत चिकित्सक, पैरों के चिकित्सक, या पशु चिकित्सक के नुस्खे के तहत हो, काउंटी जेल में एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए या दंड संहिता की धारा 1170 के उपखंड (h) के अनुरूप जेल में कैद द्वारा दंडित किया जाएगा, सिवाय यह कि ऐसे व्यक्ति को बजाय इसके दंड संहिता की धारा 1170 के उपखंड (b) के अनुसार दंडित किया जाएगा यदि उस व्यक्ति को दंड संहिता की धारा 667 के उपखंड (e) के पैराग्राफ (2) के उप-पैराग्राफ (C) के वाक्यांश (iv) में निर्दिष्ट किसी अपराध के लिए या दंड संहिता की धारा 290 के उपखंड (c) के अनुसरण में पंजीकरण की आवश्यकता वाले किसी अपराध के लिए एक या दो मामलों में पहले अपराधी घोषित किया गया है।

(b) (1) कोई व्यक्ति जो धारा 11056 के उपखंड (f) में निर्दिष्ट नियंत्रित पदार्थ गैर-कानूनी रूप से अपने पास रखते हुए उपखंड (a) का उल्लंघन करता है, और जिसे धारा 11056 के उपखंड (f) में निर्दिष्ट नियंत्रित पदार्थ के मामले में उल्लंघन के लिए अपराधी घोषित नहीं किया गया है, दुष्कर्म का दोषी है।

(2) कोई व्यक्ति जो धारा 11056 के उपखंड (g) में निर्दिष्ट नियंत्रित पदार्थ गैर-कानूनी रूप से अपने पास रखते हुए उपखंड (a) का उल्लंघन करता है, दुष्कर्म का दोषी है।

(3) कोई व्यक्ति जो धारा 11055 के उपखंड (d) के पैराग्राफ (7) या (8) में निर्दिष्ट नियंत्रित पदार्थ गैर-कानूनी रूप से अपने पास रखते हुए उपखंड (a) का उल्लंघन करता है, दुष्कर्म का दोषी है।

(4) कोई व्यक्ति जो धारा 11057 के उपखंड (f) के पैराग्राफ (8) में निर्दिष्ट नियंत्रित पदार्थ गैर-कानूनी रूप से अपने पास रखते हुए उपखंड (a) का उल्लंघन करता है, दुष्कर्म का दोषी है।

(c) (b) उपखंड (b) के अधीन मूल्यांकित किसी जुर्माने के अतिरिक्त, जज उपखंड (a) का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति को सत्तर डॉलर (\$70) से अधिक जुर्माने का मूल्यांकन कर सकते हैं, इस जुर्माने से प्राप्त धनराशि का दंड संहिता की धारा 1463.23 के अनुसार उपयोग किया जाएगा। तथापि, न्यायालय भुगतान करने के लिए प्रतिवादी की क्षमता पर विचार करेगा, और किसी भी प्रतिवादी को इस उपखंड के अधीन अनुमत जुर्माने का भुगतान करने में उसकी अक्षमता के कारण परिवीक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा।

धारा 14. दंड संहिता में धारा 1170.18 जोड़ी गई है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाये:

1170.18. (a) वर्तमान में किसी अपराधी घोषित होने पर सजा भुगतान वाला कोई व्यक्ति, अगर अपराध के समय यह अधिनियम प्रभावी होता तो, घोर अपराध या घोर अपराधों के लिए, चाहे ट्रायल द्वारा हो या दलील द्वारा, इस धारा को जोड़ने वाले अधिनियम ("इस अधिनियम") के तहत दुष्कर्म के लिए दोषी होता, तो वह स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता की धारा 11350, 11357, या 11377, अथवा दंड संहिता की धारा 459.5, 473, 476a, 490.2, 496, या 666 के अनुसार पुनः दंडादेश का अनुरोध करने के लिए अपने मामले में अपराधी ठहराने का निर्णय प्रविष्ट करने वाली ट्रायल कोर्ट के समक्ष सजा के प्रत्याहरण के लिए याचिका दायर कर सकता है, क्योंकि इस अधिनियम द्वारा उन धाराओं को संशोधित या परिवर्धित किया गया है।

(b) उपखंड (a) के अधीन याचिका प्राप्त करने पर, अदालत निर्धारित करेगा कि क्या याचिकाकर्ता उपखंड (a) के मानदंडों को संतुष्ट करता है या नहीं। यदि याचिकाकर्ता उपखंड (a) के मानदंडों को संतुष्ट करता है, तो याचिकाकर्ता के घोर अपराध की सजा वापस ली जाएगी और स्वास्थ्य और सुरक्षा संहिता की धाराएँ 11350, 11357, अथवा 11377 या दंड संहिता की धारा 459.5, 473, 476a, 490.2, 496, या 666 के अनुसरण में याचिकाकर्ता को दुष्कर्म की पुनःसजा दी जाएगी, जिन धाराओं को इस अधिनियम द्वारा संशोधित या परिवर्धित किया गया है, बशर्ते कि अदालत, अपने विवेकाधीन निर्धारित करता है कि याचिकाकर्ता को पुनः सजा सुनाए जाने से सार्वजनिक सुरक्षा को खतरे का अनुचित जोखिम पैदा हो सकता है। अपने विवेक का उपयोग करते समय, अदालत निम्नलिखित सभी पर विचार कर सकता है:

- (1) याचिकाकर्ता का आपराधिक दोषसिद्धि इतिहास, जिसमें शामिल हैं किए गए अपराध का प्रकार, पीड़ितों को चोट की मात्रा, जेल में कैद की पूर्व अवधि, और अपराधों के बीच का समय।
- (2) याचिकाकर्ता का अनुशासनात्मक रिकॉर्ड और जेल में कैद समय में पुनर्वास का रिकॉर्ड।
- (3) कोई अन्य प्रमाण, जिसे अदालत अपने विवेकाधीन, यह निर्णय लेने के लिए प्रासंगिक मानता है कि क्या नई सजा के परिणामस्वरूप सार्वजनिक सुरक्षा के खतरे का अनुचित जोखिम पैदा हो सकता है।

(c) इस पूरी संहिता में प्रयुक्त "सार्वजनिक सुरक्षा के खतरे का अनुचित जोखिम" से तात्पर्य यह है कि याचिकाकर्ता धारा 667 के उपखंड (e) के पैराग्राफ (2) के उप-पैराग्राफ (C) के वाक्यांश (iv) के अर्थ के अंतर्गत नया हिंसक घोर अपराध कर सकता है।

(d) उपखंड (b) के अनुसार जिस व्यक्ति को पुनः सजा दी जाती है, उसे काटी गई सजा की अवधि का क्रेडिट दिया जाएगा और वह अपनी सजा पूरी होने के बाद एक वर्ष के लिए परोल के अधीन रहेगा, बशर्ते कि अदालत, अपने विवेकाधीन, सजा के अपने पुनर्दादेश के भाग के रूप में, परोल से उस व्यक्ति को मुक्त करेगा। परोल वापसी की याचिकाओं पर सुनवाई और हिरासत में रखने की अवधि अधिरोपित करने के प्रयोजन से, ऐसा व्यक्ति सुधार और पुनर्वास विभाग और उस काउंटी के अदालत के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत धारा 3000.08 के परोल निरीक्षण के अधीन रहेगा, जहाँ व्यक्ति को परोल पर छोड़ा गया या वह निवास करता है, या जहाँ कथित तौर पर निरीक्षण का उल्लंघन हुआ है।

(e) किसी भी परिस्थिति में इस धारा के अंतर्गत पुनः सजा सुनाए जाने के परिणामस्वरूप मूल सजा से लंबी अवधि अधिरोपित न हो।

(f) कोई व्यक्ति जिसने अपराधी घोषित किए जाने पर अपनी सजा पूरी की हो, घोर अपराध या घोर अपराधों के लिए, चाहे ट्रायल द्वारा हो या दलील द्वारा, जो इस अधिनियम के तहत दुष्कर्म के लिए दोषी होता, अगर यह अधिनियम अपराध के समय प्रभावी होता तो, वह घोर अपराध के सिद्ध दोष या दोषों को दुष्कर्म के रूप में निर्दिष्ट करने के लिए याचिका दायर कर सकता है।

(g) यदि आवेदन उपखंड (f) के मानदंड को संतुष्ट करे, तो अदालत घोर अपराध या अपराधों को दुष्कर्म के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है।

(h) उपखंड (f) के अधीन दायर आवेदन को मंजूर या नामंजूर करने के लिए किसी सुनवाई की ज़रूरत नहीं, बशर्ते की आवेदक इसके लिए अनुरोध करे।

(i) इस धारा के प्रावधान ऐसे व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होंगे जिनके खिलाफ धारा 667 के उपखंड (e) के पैराग्राफ (2) के उप-पैराग्राफ (C) के वाक्यांश (iv) में निर्दिष्ट अपराध के लिए या धारा 290 के उपखंड (c) के अनुसरण में पंजीकरण अपेक्षित अपराध के लिए एक या अनेक पूर्व दोष-सिद्धि हों।

(j) इस धारा के तहत कोई याचिका या आवेदन इस धारा को जोड़े गए अधिनियम के प्रभावी दिनांक के बाद तीन वर्षों के अंदर या कोई अच्छा कारण दिखाते हुए, बाद में दायर किया जा सकता है।

(k) घोर अपराध का कोई सिद्ध दोष जब उपखंड (b) के तहत वापस लिया जाए और दुबारा सजा सुनाई जाए या उपखंड (g) के तहत दुष्कर्म के रूप में निर्दिष्ट किया जाए, तो उसे सभी प्रयोजनों के लिए दुष्कर्म माना जाएगा, सिवाय यह कि इस प्रकार दुबारा सजा सुनाया जाना उसे किसी बंदूक का स्वामित्व, कब्जा रखने, या अपनी अभिरक्षा या नियंत्रण में बंदूक रखने या भाग 6 के शीर्षक 4 के खंड 9 के अध्याय 2 (धारा 29800 के साथ शुरू करते हुए) के अधीन उसे अपराधी ठहराने से रोकने की अनुमति नहीं देता है।

(l) यदि याचिकाकर्ता को मूलतः सजा सुनाने वाली अदालत उपलब्ध नहीं है, तो पीठासीन जज याचिका या आवेदन पर निर्णय सुनाने के लिए किसी अन्य जज को निर्दिष्ट कर सकता है।

(m) इस धारा में कुछ भी याचिकाकर्ता या आवेदक को अन्यथा उपलब्ध किसी अधिकार या उपचार को कम करने या रद्द करने के इरादे से नहीं है।

(n) इसमें और संबंधित धाराओं में कुछ भी इस अधिनियम के दायरे के अंतर्गत किसी भी प्रकार के निर्णय की निश्चयात्मकता कम करने या रद्द करने के इरादे से नहीं है।

(o) इस अधिनियम के तहत आदेशित पुनर्दादेश की सुनवाई California संविधान (Marsy का कानून) के अनुच्छेद I की धारा 28 के उपखंड (b) के पैराग्राफ (7) के तहत "अपराधी ठहराने के बाद रिहाई की कार्यवाही" बनती है।

धारा 15. संशोधन।

इस अधिनियम का मोटे तौर पर आशय अपने प्रयोजनों को हासिल करना माना जाएगा। इस विधेयक के प्रावधान विधानमंडल के प्रत्येक सदन के सदस्यों के दो तिहाई वोट द्वारा और गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर के बाद संशोधित किए जा सकते हैं बशर्ते कि ऐसे संशोधन इस अधिनियम के साथ सुसंगत और उसकी मंशा को आगे बढ़ाने के लिए हो। विधानमंडल इस अधिनियम द्वारा संशोधित किन्हीं अपराधों को और कम करने के लिए प्रावधानों को बहुमत से संशोधित, परिवर्धित, या निरस्त कर सकता है।

धारा 16. पृथक्करणीयता।

यदि इस विधेयक के कोई प्रावधान, या इस विधेयक का भाग, या किसी व्यक्ति या परिस्थितियों के लिए प्रावधान या भाग की प्रयोजनीयता, किसी कारण से अमान्य ठहराई जाती है, तो शेष प्रावधान, या प्रावधानों की प्रयोजनीयता प्रभावित नहीं होगी, बल्कि पूरी शक्ति और प्रभाव से लागू होगी, और इस अर्थ में इस विधेयक के प्रावधान पृथक्करणीय हैं।

धारा 17. परस्पर-विरोधी पहल।

(a) यह अधिनियम कुछ ऐसे अपराधों से जुड़े दंड को परिवर्तित करता है जो गंभीर या हिंसक नहीं हैं। यदि इस विधेयक और इसी विषय से संबंधित कोई अन्य पहल वाले विधेयक उसी राज्यव्यापी चुनाव मतपत्र पर प्रकट होंगे, तो अन्य विधेयक या विधेयकों के प्रावधान को इस विधेयक के साथ टकराने वाला माना जाएगा। यदि इस विधेयक को अधिकांश संख्या में सकारात्मक मत मिलेंगे, तो इस विधेयक के प्रावधान अपनी संपूर्णता में प्रचलित रहेंगे, और दूसरे विधेयक के प्रावधान रद्द और अमान्य हो जाएंगे। तथापि, अगर एक ही चुनाव में सांद्र भाँग रखने के लिए प्रयोज्य दंडों को हटाने वाले प्रावधान युक्त इस विधेयक और अन्य विधेयकों को अनुमोदित किया जाता है, मतदाता अन्य विधेयक या विधेयकों में सांद्र भाँग से संबंधित ऐसे प्रावधानों का प्रचलन चाहते हैं, इस बात का लिहाज किए बिना कि किस विधेयक को अधिक संख्या में सकारात्मक वोट मिले हैं। मतदाता इस विधेयक, और अन्य विधेयक या विधेयकों की सभी अन्य प्रयोज्यता और प्रावधानों को पूरी तरह लागू और प्रभावी करने का भी इरादा रखते हैं, लेकिन केवल उस हद तक कि अन्य विधेयक इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों।

(b) यदि इस विधेयक को मतदाता अनुमोदित करें लेकिन उसी चुनाव में मतदाताओं द्वारा अनुमोदित किसी अन्य परस्पर-विरोधी विधेयक द्वारा कानूनन अधिक्रमण किया जाए, और बाद में टकराव वाला विधेयक अमान्य मान लिया जाए, तो यह विधेयक स्वतः निष्पादित होगा और पूरी तरह प्रचलित और प्रभावी होगा।

धारा 18. उदार प्रयोजन।

यह अधिनियम उदारतापूर्वक अपने प्रयोजनों को सिद्ध करने वाला माना जाएगा।

## प्रस्ताव 48

2013-2014 नियमित सत्र (अध्याय 51, 2013 के कानून) के विधानसभा बिल 277 द्वारा प्रस्तावित यह विधेयक, California संविधान के अनुच्छेद II की धारा 9 के प्रावधानों के अनुसार एक जनमत संग्रह के रूप में California के लोगों को प्रस्तुत किया जाता है।

प्रस्तावित यह कानून सरकारी संहिता में परिवर्धन करता है; इसलिए, जोड़ने के लिए नए प्रावधान तिरछे टाइप में यह सूचित करने के लिए मुद्रित किए गए हैं कि वे नए हैं।

### प्रस्तावित कानून

धारा 1. सरकारी संहिता में धारा 12012.59 जोड़ी गई है, जिसे इस प्रकार पढ़ा जाये:

12012.59. (a) (1) संघीय इंडियन गेमिंग रेगुलेटरी ऐक्ट रेगुलेटरी ऐक्ट 1988 (18 U.S.C. धारा 1166 से 1168, के साथ संयुक्त, और अनुगामी 25 U.S.C. धारा 2701) के अनुसार स्टेट ऑफ़ California और North Fork Rancheria बैंड के Mono इंडियन्स के बीच 31, अगस्त 2012 को प्रविष्ट आदिवासी-राज्य गेमिंग कॉम्पैक्ट, एतद्वारा समुप किया जाता है।

(2) संघीय इंडियन गेमिंग रेगुलेटरी ऐक्ट 1988 (18 U.S.C. धारा (18 U.S.C. धाराएँ 1166 से 1168, के साथ संयुक्त, और अनुगामी 25 U.S.C. धारा 2701) के अनुसार स्टेट ऑफ़ *California* और *Wiyot* आदिवासियों के बीच 20 मार्च, 2013 को निष्पादित आदिवासी-राज्य गेमिंग कॉम्पैक्ट, एतद्वारा सम्पुष्ट किया जाता है।

(b) (1) आदिवासी संप्रभुता के सम्मान में, निम्नलिखित में से किसी को भी *California* पर्यावरण गुणवत्ता अधिनियम (सार्वजनिक संसाधन संहिता का खंड 13 (धारा 21000 से शुरू करते हुए) के प्रयोजनों के लिए परियोजना नहीं माना जाएगा):

(A) आदिवासी-राज्य गेमिंग समझौते के एक संशोधन का निष्पादन इस खंड द्वारा संपुष्ट किया जाता है।

(B) आदिवासी-राज्य गेमिंग कॉम्पैक्ट का निष्पादन इस खंड द्वारा संपुष्ट किया जाता है।

(C) आदिवासी-राज्य गेमिंग कॉम्पैक्ट में स्पष्ट प्राधिकार, या स्पष्ट संदर्भ के अनुसरण में समझौता-वार्ता द्वारा तय आदिवासी और काउंटी या सिटी सरकार के बीच एक अंतर-सरकारी समझौते का निष्पादन, इस खंड द्वारा संपुष्ट किया जाता है।

(D) आदिवासी-राज्य गेमिंग कॉम्पैक्ट में स्पष्ट प्राधिकार, या स्पष्ट संदर्भ के अनुसरण में समझौता-वार्ता द्वारा तय आदिवासी और परिवहन विभाग के बीच एक अंतर-सरकारी समझौते का निष्पादन, इस खंड द्वारा संपुष्ट किया जाता है।

(E) आदिवासी-राज्य गेमिंग कॉम्पैक्ट की शर्तों के अनुपालन के आरक्षण प्रभाव को इस खंड द्वारा संपुष्ट किया जाता है।

(F) धारा 63048.6 के उपखंड (a) में परिभाषित रूप से कॉम्पैक्ट की परिसंपत्तियों की बिक्री, या धारा 63048.65 के अनुसरण में स्थापित विशेष प्रयोजन न्यास का निर्माण।

(2) यहाँ अभिव्यक्त रूप से प्रदान किए गए स्वरूप के अतिरिक्त, यह उपखंड किसी सिटी, काउंटी, या सिटी और काउंटी, या परिवहन विभाग को *California* पर्यावरण गुणवत्ता अधिनियम की अपेक्षाओं से मुक्त नहीं करता है।